वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

okf"kZd fjiksVZ
2016&17

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku

lsDVj&24] uks,Mk & 201 301 ¼m-iz-½

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

प्रतियों की संख्या : 150

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से
डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थान : चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

fo"k;&lph

- çEk[k miyfC/k;k 1
- lLFkku d fotu vkj fe'ku 8
- lLFkku dk vf/kn'k 9
- lLFkku dh ljpuk 10
- vul/kku 14
  - श्रम बाजार अध्ययन केंद्र 15
  - कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद 19
  - राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) 21
  - रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र 29
  - एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी) 34
  - श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र 37
  - लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र 38
  - पूर्वोत्तर केंद्र 45
  - अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र 47
- çf'k{k.k vkj f'k{kk ¼2016&17½ 49
- ,u- vkj- M Je lpuk llk/ku dn 64
- jktHkk"kk uhfr dk dk;kUo;u 66
- çdk'ku 68
- lLFkku d b&xous l ,o fMftVy vol jpuk dk mUu;u 73
- QdYVh 76
- y[kkijh{kk fjikVZ ,o y[kkijhf{kr okf"kd y[kk 2016&17 78

çEk[k miyfC/k;k
(2016-2017)

- Okh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] Je ,o lcf/kr eqnnk ij vuqlU/kku] çf'k{k.k] f'k{kk] çdk'ku ,o ijke'kZ dk;Z djus okyk ,d vxz.kh lLFkku gSA 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एंव रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का iqu%ukedj.k 1995 eas] Hkkjr ds Hkwriwoz jk"Vªifr ,oa çfl) VªsM ;wfu;u urk Jh oh- oh- fxfj ds uke ij fd;k x;kA
- ,d fo'oLrjh; çfrf"Br lLFkku ds :Ik esa mHkjuk% संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य–संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा।
- Ukhfr&fuekZ.k ds fy, Kku dk vk/kkj % संस्थान ने 23 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं जिन्होंने रोजगार, कौशल विकास, बाल श्रम, अनौपचारिक सैक्टर, प्रवासन, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, स्वास्थ्य तथा श्रम एवं श्रम मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति–निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।
- lkekftd Hkkxhnkjksa dks ifjorZu dh pqukSfr;ksa dk lkeuk djus ds fy, rS;kj djuk% भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रहीं हैं। संस्थान ने 126 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अनुसंधानकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3811 प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया।
- vlaxfBr dkexkjksa dk l'kDr cukuk% संस्थान ने 44 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 1396 नेताओं/प्रशिक्षकों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह दिखाना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।
- iwoksZÙkj {ks= dh fpUrkvksa ds lek/kku ds fy, fo'ks"kh—r çf'k{k.k% संस्थान ने 15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य हितधारकों के लिए किया। संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 16–18 मार्च 2017 के दौरान Hkkjr ds iwoksZÙkj {ks= esa dk;Z]

jkstxkj ,oa Je cktkj ij ,d rhu&fnolh; eksM;wyj dk;Z'kkyk का आयोजन श्रम अध्ययन एवं सामाजिक संरक्षण केंद्र, टाटा समाज विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी परिसर में किया।

- Je dks eqnnksa ij varjkZ"Vªh; çf'k{k.k dk;ZØe vk;kftr djus dk gc ¼dsUnz½ संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। संस्थान ने लैंगिक मुद्दे, श्रम प्रशासन और रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियाँ तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर 07 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 182 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

  - ✓ संस्थान ने रॉयल भूटान सरकार के अनुरोध पर वहाँ के श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए 'श्रम प्रशासन एवं रोजगार प्रबंधन' पर एक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

  - ✓ श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर वहाँ के श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए 'वैश्वीकरण, बदलते रोजगार संबंध एवं श्रम प्रशासन' पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

- 0;kolkf;d Hkkxhnkjh djuk ,oa mls lqn`<+ cukuk% आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यासायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ सहयोग स्थापित किया है। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मूल उद्देश्य सभी के लिए उत्तम कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों में दोनों संस्थानों में सहयोग बढ़ाना है।

  आईटीसी–वीवीजीएनएलआई सहयोग के एक भाग के तौर पर अफगानिस्तान के सामाजिक भागीदारों के लिए 'रोजगार नीतियाँ: असंतोष से लचीलेपन की ओर' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया गया है। श्रम एवं रोजगार के विभिन्न विषयों पर फरवरी 2017 से अक्टूबर 2017 के दौरान आठ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

- Ukhfrxr ennks ij xgu cgl djus ,oa çe[k igyksa dk çlkj gjrs ep%

✓ संस्थान ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से श्रम संहिता एवं कल्याण पर 11 अप्रैल 2016 को एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रो. एम. ओलिवर की उपस्थिति में इस संहिता को अपनाने के दृष्टिकोण तथा वर्तमान सामाजिक सुरक्षा ढांचे में आ रही चुनौतियों को बताने के लिए संगत कानूनों (जिनका इस संहिता में एकीकरण किया जा रहा है) के व्यापक ढांचे पर प्रस्तुति दी गई।

✓ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन के सहयोग से 27–29 अप्रैल 2016 के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में दूरस्थ शिक्षा एवं अधिगम तकनीक अनुप्रयोग कार्यक्रम पर एक तीन–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की क्षमता निर्माण को बढ़ाना था।

✓ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा आईएलओ डीसेंट वर्क टीम एवं कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया ने संयुक्त रूप से 'भारत में काम का भविष्य एवं युवा लोगों की आकांक्षाएं' पर 10 मई 2016 को एक नवाचारी एवं परस्पर संवादात्मक सत्र का आयोजन किया।

✓ आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम का उन्मूलनः अनुभवों को साझा करना' पर 29 जून 2016 को एक तकनीकी परामर्श का आयोजन किया गया। इस परामर्श में विभिन्न उपक्रमों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाल श्रम से मुक्त रखने हेतु अपनायी जा रही कार्यनीतियों तथा इन्हें अन्य उपक्रमों द्वारा अपनाने हेतु कार्यान्वयन के उनके अनुभवों को साझा करने को सुगम बनाया।

✓ 'बंधुआ श्रम प्रणाली का संपूर्ण उन्मूलनः आगे का रास्ता' पर डीजीएलडब्ल्यु एवं आईएलओ के सहयोग से 04–05 अगस्त 2016 के दौरान एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बंधुआ श्रम प्रणाली एवं बाल श्रमिकों का पुनर्वास देख रहे केंद्र एवं राज्य सरकारों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सिविल सोसाइटियों के प्रतिनिधियों तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन अधिनियम, 1976) में संशोधन तथा बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सैक्टर योजना (2016) के लिए प्रमुख सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा करना था।

✓ यूनीसेफ के साथ 'बाल श्रम की स्थितिः रुझानों का मानचित्रण' पर एक कार्यशाला का आयोजन 02 सितम्बर 2016 को किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वीवीजएनएलआई–यूनीसेफ की सहयोगात्मक परियोजना 'बाल श्रम डाटा विश्लेषण' के एक भाग के तौर पर किये गये अनुसंधान अध्ययन 'भारत में बाल श्रम की स्थितिः रुझानों का मानचित्रण' के निष्कर्षों का प्रसार करना था जिससे कुछ जिलों में कामकाजी बच्चों के संकेंद्रण के कारणों को समझा जा सके तथा बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन की योजना बनाने में राज्यों को जानकारी प्रदान करने और बाल श्रम की रोकथाम की उनकी योजनाओं के

लिए राज्यों के साथ–साथ यूनीसेफ को सूचित करने हेतु 2001 की तुलना में 2011 में कामकाजी बच्चों के क्षेत्रों एवं व्यावसायिक परिवर्तनों का पता लगाया जा सके।

- ✓ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं आईएलओ ने संयुक्त रूप से 'प्रौद्योगिकी एवं काम का भविष्य' पर 29 नवम्बर 2016 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम आईएलओ के 2019 में होने वाले शताब्दी समारोह हेतु आईएलओ की *काम का भविष्य पहल* के संदर्भ में आयोजित किया गया।

- ✓ बड़े मूल्यवर्ग की मुद्रा के विमुद्रीकरण का सरकार का निर्णय स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक ऐतिहासिक नीतिगत घोषणाओं में से एक है। उचित अनुवर्ती नीतिगत उपायों के साथ इस निर्णय में देश के लिए स्थायी लाभ देने की क्षमता है। इसी संदर्भ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में 16 दिसम्बर 2016 को ^foeqnzhdj.k% Je ,oa jkstxkj ls lacaf/kr eqn~nksa dk lek/kku djus ds fy, dk;Zuhfr;k¡^ पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया।

- ✓ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ 31 जनवरी 2017 को त्रिवेंद्रम, केरल में '*मजदूरी नीतियां*' पर एक तकनीकी परामर्श आयोजित किया गया। इस परामर्श के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे: (i) ग्लोबल वेज़ रिपोर्ट, 2016 पर फोकस करते हुए समग्र वैश्विक मजूदरी रुझानों

पर चर्चा करना, (ii) में, विशेषकर संगठित विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में मजूदरी रुझानों पर चर्चा करना, तथा (iii) भारत में उचित मजूदरी नीतियां विकसित करने की रूपरेखा पर विचार करना, जिसमें अच्छी प्रथाओं की पहचान करना भी शामिल है। इस कार्यक्रम में सरकार, ट्रेड यूनियनों, नियोजकों तथा शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- ✓ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर, नौएडा में 18–19 जनवरी 2017 के दौरान लेबर रिसोर्स सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ मसाचुसेट्स, बोस्टन, अमेरिका के सहयोग से *'बिल्डिंग ब्रिजेज़ 2017'* पर पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका के 16 प्रतिनिधियों तथा भारत के 40 विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करना तथा संयुक्त नीतिगत पहल की दिशा में अमेरिका और भारत में निर्माण उद्योग में काम करने वाली महिलाओं पर अपने अनुभवों एवं दृष्टिकोण को साझा करना था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका में एवं हर क्षेत्र में महिला निर्माण कामगारों का जीवन–स्तर सुधारने पर बातचीत के लिए आवश्यक संबंधों का निर्माण करना था।

- ✓ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल हिस्ट्री, एमस्टर्डम तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरिअंस द्वारा संयुक्त रूप से 03–04 मार्च 2017 को वीवीजीएनएलआई परिसर, नौएडा में 'ग्लोबल लेबर हिस्ट्री नेटवर्क' पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

- ❍ **Je eqíksa ls lacf/kr lwpuk ,oa fo'ys"k.k dk çlkj %** संस्थान सात आंतरिक प्रकाशन, लेबर एंड डेवलपमेंट (छमाही पत्रिका), अवार्ड्स डाइजेस्ट (तिमाही पत्रिका), श्रम विधान (तिमाही हिंदी पत्रिका), वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष (द्विमासिक पत्रिका), चाइल्ड होप (तिमाही पत्रिका) तथा श्रम

संगम (छमाही पत्रिका) निकालता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। संस्थान ने वर्ष 2016–17 में 34 प्रकाशन निकाले।

- iLrdky; ,oa lpuk ç.kkyh% संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे सम्पन्न पुस्तकालय है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,015 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 173 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है।

- vk/kfud Hkkjr dk vkdkj nuu e Je dh Hkfedk ij çdk'k Mkyuk% संस्थान ने श्रम से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों के शीर्ष भंडार के तौर पर काम करने हेतु श्रम पर एक डिजिटल आर्काइव स्थापित किया है। इसमें श्रम इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लेबर आर्काइव की वेबसाइट (www.indialabourarchives.org) में अपलोड किये हुए लगभग 190000 पेज डिजिटल रूप में हैं।

संस्थान का विज़न और मिशन

fo t ;u

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केन्द्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रतिकृत संकल्प हो।

fe'ku

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केन्द्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

laLFkku dk vf/kns'k

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केन्द्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

mn~ns'; vkSj vf/kns'k

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण

ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है

ग. परामर्श और

घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

lLFkku dh ljpuk

संस्थान एक महापरिषद द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें सांसदों, केन्द्रीय सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद के अध्यक्ष हैं। यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद के सदस्यों के बीच से गठित कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन प्रतिदिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक की सहायता करते हैं।

egkifj"kn dk xBu

1.	श्री बंडारू दत्तात्रेय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली–110001	अध्यक्ष

dUn ljdkj d N% çfrfuf/k

2.	श्रीमती एम. सत्यवती सचिव (श्रम एवं रोजगार) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	श्री हीरा लाल सामरिया अपर सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली	सदस्य

4. श्री राजीव अरोड़ा
संयुक्त सचिव — सदस्य
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली—110001

5. श्री अरुण गोयल — सदस्य
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

6. श्री सत्यनारायण मोहंती — सदस्य
सचिव
माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली—110001

7. श्रीमती सुनीता सांघी — सदस्य
संयुक्त सलाहकार (एलईएम)
सलाहकार (श्रम एवं रोजगार)
योजना आयोग
नई दिल्ली—110001

deldkjk dk nk çfrfuf/k

8. श्री बी. सुरेन्द्रन — सदस्य
अखिल भारतीय उप—आयोजन सचिव,
भारतीय मजदूर संघ,
केशावर कुदिल,
5 रंगासायी स्ट्रीट
पेराम्बूर, चेन्नई—600011

9. डॉ. जी. संजीव रेड्डी, भूतपूर्व सांसद — सदस्य
अध्यक्ष—इंटक
गली नं. 14, मकान नं. 658
जीएचएमसी, बर्कतपुरा
हैदराबाद — 500027 (आं. प्र.)

fu;kDrkvksa ds nks çfrfuf/k

10. श्री राजीव कपूर — सदस्य
कार्यकारी निदेशक – समूह एचआरएम
मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (कारपोरेट कार्यालय)
गाँव नवादा फतेहपुर
पो. सिंकंदरपुर बड्डा
मानेसर–122 004, जिला–गुड़गाँव

11. श्री जितेंद्र गुप्ता — सदस्य
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
लघु उद्योग भारती (एलयूबी)
181, पीताम्बर अपार्टमेंट
रचना नगर
भोपाल – 462023

pkj çfrf"Br 0;fDr ftUgksus Je ds {ks= esa vFkok mlls lacaf/kr {ks=ksa esa vlk/kkj.k lg;ksx fd;k gS

12. श्री वीरेंद्र कुमार — सदस्य
भारतीय मजदूर संघ
कार्यालय – राम नरेश भवन
तिलक गली, चूना मंडी
पहाड़गंज
नई दिल्ली

13. श्री अरुण वशिष्ठ — सदस्य
एल – 242, शास्त्री नगर
मेरठ (उ. प्र.)

14. डॉ. टी. राजेश्वर राव — सदस्य
मकान नं. 7–1–44
बालासमुद्रम
हनुमाकोंडा
वारंगल जिला
तेलंगाना – 506001

15. श्री टी. कृष्णमूर्ति — सदस्य
राज्य अध्यक्ष
भारतीय जनता मजदूर मोर्चा
तेलंगाना राज्य
1–2756/74, डोमालगुडा
हैदराबाद–500029

nk l ln lnL; (ykd lHkk vkj jkT; lHkk l ,d&,d)

16. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल — सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)
14, डॉ. बी. डी. मार्ग
नई दिल्ली–110001

17. श्री भूषण लाल जांगड़े — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)
फ्लैट सं. 201, स्वर्णजयंती सदन
डॉ. बी. डी. मार्ग
नई दिल्ली–110001

vu l/kku lLFkku

18. श्री संजय प्रसाद, भा.प्र.से. — सदस्य
महानिदेशक,
महात्मा गांधी श्रम संस्थान,
ड्राइव-इन रोड़, मेम नगर
अहमदाबाद–380062 (गुजरात)

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk d çfrfuf/k

19. श्री मनीष कुमार गुप्ता — सदस्य–सचिव
महानिदेशक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सैक्टर–24, नौएडा–201301
जिला-गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

vuqla/kku

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है। परन्तु इन कार्यकलापों के केंद्र में सदैव ही ऐसे मुद्दे रहे हैं, जो सीमान्त, वंचित और श्रम बल के संवेदनशील वर्गों से संबंधित हैं।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है;

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धान्तिक समझ को उन्नत बनाना;
- समुचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि ये उभरती चुनौतियां वैश्वीकरण के समसामयिक युग में तीव्र गति से अधिक जटिल होती जा रही हैं। इससे पहले कभी भी श्रम की दुनिया में हुए परिवर्तन इतने तीव्र और श्रम एवं रोजगार को प्रभावित करने वाले नहीं रहे। इन परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा इनके प्रभाव, परिणामों और कार्य की दुनिया पर इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के लिए समुचित अनुसंधान संबंधी रणनीतियों और कार्यसूची को तैयार किया जाना जरूरी है।

निस्संदेह, यह एक बहुत कठिन कार्य है और इस कार्य को एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाना है ताकि अनुसंधान में संगत मुद्दों को शामिल किया जा सके। संस्थान के प्रत्येक अनुसंधान केंद्र को अनुसंधान के प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट ढंग से इंगित करना चाहिए और अन्वेशण किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों के ब्यौरे भी तैयार करने चाहिए। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों में वैश्वीकृत व्यवस्था में श्रम के समक्ष उभर रहे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है अपितु संबंधित क्षेत्रों में विशिष्टता भी हासिल हो सकेगी, जो किसी भी अनुसंधान केंद्र के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उप्रेरक तत्व होगा।

इसी परिप्रेक्ष्य में संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा शामिल किए जाने वाले अनुसंधान मुद्दों की रूपरेखा तैयार की गई है।

Je cktkj v/;;u dUn

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केन्द्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केन्द्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केन्द्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसंधान गतिविधियों का उद्देश्य श्रम बाजार के परिणामों के उन्नयन हेतु नीतिगत निदेश प्रदान करना है। केन्द्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्तम कार्य

ijh dj yh xbl ifj;ktuk,

1- Hkkjr&thlhlh çoklu dkfjMkj d fo'k"k lnHk e Hkkjr l vrjk"Vh; Jfed çoklu e #>ku

v/;;u d mnn';

इस अध्ययन में 1990 से 2015 तक की अवधि के दौरान भारत से जीसीसी देशों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के प्रवासन के रुझानों की जांच की गयी। इसमें जीसीसी देशों से भारत को प्रेषित धन के प्रवाह पर भी फोकस किया गया। इसमें भारत में प्रवासन आंकड़ों की व्यापक समीक्षा प्रदान करने तथा अन्य देषों एवं अतंर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बनाये गये समान प्रकार के आंकड़ों के साथ उनकी तुलना करने का प्रयास किया गया।

इस रिपोर्ट में भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन के आंकड़ों एवं धन प्रेषण के डाटा की गुणवत्ता में सुधार करने के उपायों का एक सेट प्रदान किया गया है। इसमें यह तर्क दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर साक्ष्य–आधारित नीतियां तैयार करने के लिए व्यापक डाटा बेस का अनुरक्षण महत्वपूर्ण होगा। इसमें प्रवासन के विकासात्मक परिणामों, विशेषकर प्रेषित धन के उपयोग के संदर्भ में, को अधिकतम करने के उपायों के सुझाव भी दिये गये हैं।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2016 में शुरु, एवं अक्टूबर 2016 में पूरा किया गया था

(ifj;ktuk fun'kd: Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyk)

2- Hkkjr l vrjk"Vh; çokl Jfedk d fy, U;ure jQjy etnjh dk lpkyu

v/;;u d mnn';

हाल के वर्षों में ''उत्प्रवास जांच आवश्यक'' (ईसीआर) श्रेणी के तहत आने वाले देशों में विभिन्न व्यवसायों में नियोजित भारतीय प्रवासी कामगारों की मजूदरी को विनियमित करने के लिए भारत सरकार न्यूनतम रेफरल मजूदरी तय कर रही है। इस रिपोर्ट में आठ व्यावसायिक श्रेणियों पर ध्यान देने के साथ भारत से कुवैत, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात को प्रवासन प्रवाह के संदर्भ में न्यूनतम रेफरल मजूदरी प्रणाली के कामकाज की जांच की गई। इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत को न्यूनतम रेफरल मजूदरी प्रणाली जारी रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेश में काम करने वाले भारतीय कामगारों की मजदूरी के मानकों को दूसरे देशों द्वारा कम करके न आंका जाए, यह प्रणाली आवश्यक है। इसमें पाया गया कि वर्तमान में रेफरल मजदूरी अत्यधिक सुरक्षा केंद्रित प्रतीत होती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूनतम रेफरल मजदूरी को इस तरह तय किया जाना चाहिए कि इससे एक ओर गंतव्य देशों में प्रवासी कामगारों की सुरक्षा तथा दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन में बाधा न आये, के बीच संतुलन स्थापित हो।

(vkbZ,yvk lefFkr vuql/kku] ifj;kstuk funs'kd: Mk- ,l- ds- 'kf'kdqekj] ofj"B Qsyks)

1- Rkduhdh lgk;rk

jkstxkj ij b';w isij

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ संयुक्त रूप से रोजगार पर इश्यु पेपर तैयार किया जिसे ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की हैदराबाद में आयोजित पहली बैठक तथा नई दिल्ली में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालयी बैठक में प्रस्तुत किया गया।

(ifj;kstuk funs'kd: Mk- ,l- ds- 'kf'kdqekj] ofj"B Qsyks)

2- çe[k dk;Z'kkyk,@lEesyu

^çkS|kfxdh ,oa dke dk Hkfo";^ ij ,d fo'ks"k dk;ZØe

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं आईएलाओ ने संयुक्त रूप से 'प्रौद्योगिकी एवं काम का भविष्य' पर 29 नवम्बर 2016 को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम आईएलओ के 2019 में होने वाले शताब्दी समारोह हेतु आईएलओ की *काम का भविष्य पहल* के संदर्भ में आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन का उद्‌घाटन श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि काम की दुनिया में रूपांतरण के लिए प्रौद्योगिकी एक प्रमुख चालक है। उन्होंने कहा कि इस रूपांतरण के परिणाम विकसित तथा उभरते या विकासशील देशों के बीच और यहां तक कि इन देशों के भीतर भी भिन्न–भिन्न हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत सरकार ने एक ओर पारदर्शिता, दक्षता एवं सुशासन को बढ़ाने तथा दूसरी ओर सेवाओं एवं विनिर्माण की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल शक्ति के उपयोग के उद्‌देश्य से डिजिटल क्रांति पर फोकस करते हुए कई पहल की हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार न्यायसंगत एवं समग्र राष्ट्रीय समृद्धि लाने के लिए देश में उन्नत एवं पिछड़े क्षेत्रों के बीच डिजिटल के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को सुविधाजनक बनाने तथा तकनीकी प्रगति से होने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधितों को सशक्त बनाने के लिए भी सामाजिक भागीदारों, विशेषकर नियोजक संगठनों एवं ट्रेड यूनियनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

श्रीमती एम. सत्यवती, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सुश्री पनुडा बूनपाला, निदेशक, आईएलओ डीसेंट वर्क टीम फॉर साउथ एशिया एवं कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया तथा श्री मनीष कुमार गुप्ता, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई एवं संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी उद्‌घाटन सत्र में वक्तव्य दिया।

प्रो. देव नाथन, मानव विकास संस्थान तथा डॉ. प्रभु महापात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस विषय पर मुख्य प्रस्तुतियाँ दीं। तत्पश्चात डॉ. शेर वरिक, उप निदेशक, आईएलओ डीसेंट वर्क टीम फॉर साउथ एशिया एवं कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया ने 'प्रौद्योगिकी एवं काम का भविष्य' पर एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। इस पैनल चर्चा में श्री साजी, नारायणन, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, श्री राजीव कपूर, भारतीय उद्योग परिसंघ, सुश्री चंद्रिमा चटर्जी, सलाहकार, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, सुश्री कनिका अग्रवाल, युवा व्यावसायिक, नीति आयोग तथा श्री रुद्राक्ष मुक्टा कुलश्रेष्ठ, युवा उद्यमी शामिल थे।

इस सम्मेलन का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा डॉ. शेर वरिक, उप निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया।

^foeqnzhdj.k% Je ,oa jkstxkj ls lacaf/kr eqn~nksa dk lek/kku djus ds fy, dk;Zuhfr;k¡^ ij ifjppkZ

बड़े मूल्यवर्ग की मुद्रा के विमुद्रीकरण का सरकार का नवीनतम निर्णय स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक ऐतिहासिक नीतिगत घोषणाओं में से एक है। यह अनुमान है कि उचित अनुवर्ती नीतिगत उपायों के साथ इस निर्णय में देश के लिए स्थायी लाभ देने की क्षमता है। इसी संदर्भ में श्रम एवं रोजगार

मंत्रालय, भारत सरकार में 16 दिसम्बर 2016 को ^foenhdj.k% Je ,o jktxkj l lcf/kr ennk d lek/kku d fy, dk;uhfr;k^ पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया।

श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इस परिचर्चा की अध्यक्षता की। इस परिचर्चा में सरकार, ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अकादमिक एवं सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने विशेषकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि विमुद्रीकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसरों का पूरी तरह उपयोग हो तथा इससे उत्पन्न चुनौतियों से उचित तौर पर निपटाने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यनीतियों पर विचार–विमर्श किया। इस परिचर्चा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विमुद्रीकरण तथा नकदीरहित अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल लेनदेन के कई फायदे हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि डिजिटल लेनदेन अपेक्षाकृत सस्ते, तेज और सुविधाजनक हैं तथा डिजिटल भुगतान प्रणाली से वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी और इससे वित्तीय समावेशन का रास्ता तैयार होगा। यह भी दोहराया गया कि अनौपचारिक सैक्टर के औपचारिकीकरण में वित्तीय लेनदेन का डिजिटल तरीका एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो सकता है। इस परिचर्चा में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि डिजिटल भुगतान यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक एवं कल्याण अंतरण भुगतान कम कीमत पर हों, इनसे किसी किस्म की कटौती न हो तथा इस प्रकार यह इन सेवाओं के वितरण में दक्षता सुनिश्चित करेगा। इस परिचर्चा में यह नोट किया गया कि सभी कामगारों, विशेषकर जो अनौपचारिक सैक्टर में कार्यरत हैं, को डिजिटल लेनदेन के लाभों के बारे में सशक्त करने की बहुत आवश्यकता है। यह ऐसे सशक्तिकरण में देर होती है, तो इससे औपचारिक एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में असमानता और बढ़ेगी।

इस परिचर्चा में यह स्पष्ट किया गया कि औद्योगिक संवर्धन में सशक्तिकरण एवं शिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। परिचर्चा में यह भी कहा गया कि अधिक डिजिटल लेनदेन के साथ डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है।

bl ifjppk dk leUo; Mk- ,l- d- 'kf'kdekj] ofj"B Qyk] rFkk Mk- :ek ?kk"k u fd;kA

—f"k lac/k vkSj xzkeh.k Je dsUnz

बदलते कृषि संबंधों एवं इनके ग्रामीण श्रमिकों पर प्रभाव का समाधान करने एवं इनकी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केंद्र की सथापना की गई। कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजार की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि कृषि की स्थिति का पता लगाने एवं इसका अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करने के लिए ज्यादा विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनूकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ढाई दशकों से अधिक का अनुभव भी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कृषि संबंध और ग्रामीण श्रम केन्द्र के सृजन का यह एक प्रमुख तर्काधार है।

केन्द्र के अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित मुद्दों पर केन्द्रित हैं:

- वैश्वीकरण और ग्रामीण श्रम पर उसका प्रभाव;
- ग्रामीण श्रम बाजारों की बदलती संरचना की मैक्रो प्रवृत्तियां एवं पद्धतियां;
- संगठनात्मक कार्यनीतियों का प्रलेखन, मूल्यांकन और प्रचार-प्रसार;
- सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण श्रम;
- विभिन्न कृषि व्यवसायों का अध्ययन।

iwjh dj yh xbZ ifj;kstuk

1- ?kjsyw MsM;jh esa jkstxkj vkSj vk; dh lEHkkouk,¡ % ,d v/;;u

mn~ns’;

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- घरेलू डेयरी में रोजगार के पैटर्न एवं इसकी स्थिति की जाँच करना
- रोजगार सृजन एवं आय के संदर्भ में डेयरी संचालन की संभावना की जाँच करना
- क्रेडिट, उत्पाद आदि के लिए पहुंच एवं बाजार का अध्ययन करना
- अध्ययन हेतु चुने गए परिवारों के जीवन–स्तर पर पर घरेलू डेयरी संचालन के प्रभाव का अध्ययन करना
- घरेलू डेयरी के सुधार हेतु नीतिगत एवं कार्यक्रम संबंधी उपायों के सुझाव देना।

vuqla/kku ifj;kstuk dk ifj.kke

गौण सामग्री एवं प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर डेयरी के क्षेत्र में डेयरी कामगारों की स्थितियों और रोजगार की संभावनाओं की जाँच करते हुए रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। इस अध्ययन में रोजगार के अधिक अवसरों के सृजन हेतु इस सैक्टर में सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें की गईं हैं। इस अध्ययन को प्रकाशित किया जाएगा तथा डेयरी सैक्टर में काम करने वाले सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के विभागों को जानकारी प्रसारित की जाएगी। घरेलू डेयरी चलाने वाले लोगों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम तैयार करने के भी प्रयास किए जाएंगे।

(ifj;kstuk funs'kd: Mk- iwue ,l- pkSgku] ofj"B Qsyks)

tkjh ifj;kstuk

1- d`f"k lsDVj rFkk lkekU;r% xzkeh.k Jfed ,oa fo'ks"kr% efgyk d`f"k Jfed

Ifj;kstuk ds mn~ns';

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- देश में वर्तमान कृषि स्थिति को समझना, उसकी समीक्षा एवं विश्लेषण करना;
- सामान्यतः ग्रामीण श्रमिकों एवं विशेषतः महिला कृषि श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की जाँच करना;
- विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याण कार्यक्रमों एवं ग्रामीण/कृषि श्रमिकों की स्थितियों की योजनाओं तक ग्रामीण कामगारों की पहुंच तथा उन पर इन कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना;
- ग्रामीण कामगारों की शिक्षा एवं कौशल आधार का अध्ययन करना;
- अपनी खुद की समस्याओं एवं इन समस्याओं के समाधान के बारे में ग्रामीण श्रमिकों की राय एवं व्यवहार के पैटर्न की जाँच करना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं का पता लगाना; और
- अध्ययन के आधार पर ग्रामीण श्रमिकों एवं महला कृषि श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए दृष्टिकोण एवं कार्यनीतियों के सुझाव देना।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु किया गया था, एवं इसे फरवरी 2018 तक पूरा किया जाना है।

(ifj;kstuk funs'kd: Mk- iwue ,l- pkSgku] ofj"B Qsyks)

jk"Vh; cky Je llk/ku dUn ¼,uvkjlhlh,y½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केन्द्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने हेतु उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के कार्य में सरकार, ट्रेड यूनियनों, अंतर्राश्ट्रीय संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों, और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके।

एनआरसीसीएल बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के कार्य में कानून–निर्माताओं, नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं का समर्थन करता है और बाल संरक्षण के मुद्दे पर काम करने वाले केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के विभागों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। एनआरसीसीएल तकनीकी सलाहकार सेवा और परामर्श प्रदान करता है तथा सूचना का प्रचार/प्रसार करता है ताकि बच्चों के श्रमिक शोषण के मुद्दों को उजागार किया जा सके और अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में विभिन्न खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कठिन परिश्रम कर रहे बच्चों के प्रति उनके रवैये और व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य जागरूकता लाई जा सके।

एनआरसीसीएल बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिए कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्र अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, पक्षसमर्थन, तकनीकी सहयोग, प्रलेखन, प्रकाशन, प्रचार-प्रसार, नेटवर्किंग और विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ बनाकर अभिसरण को बढ़ावा देने के जरिए अपना उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

बाल श्रम पर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हस्तक्षेपों में योगदान करने हेतु ज्ञान–आधार एवं ज्ञान–ढांचे का निर्माण करने के उद्देश्य से एनआरसीसीएल के एक सहायक केंद्र राष्ट्रीय बाल श्रम ज्ञान केंद्र की स्थापना की गयी है। वर्ष 2013 में आयोजित बाल श्रम पर सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन के परिणाम के रूप में एनआरसीसीएल के एक और सहायक केंद्र सार्क बाल श्रम संसाधन केंद्र (एसआरसीसीएल) की स्थापना की गयी है। यह एक संसाधन केंद्र और नए विचारों एवं परीक्षण कल्पना के लिए एक अभिलेखीय केंद्र है। साथ ही, यह अनुसंधान अध्ययन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने तथा बाल श्रम के विभिन्न सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विचार–विमर्श एवं चर्चा के लिए ज्ञान उत्पादों एवं उप–उत्पादों के दस्तावेजीकरण एवं प्रसार करने के माध्यम से लिए सार्क देशों के मध्य बातचीत के लिए भी एक मंच है।

vuqla/kku

अनुसंधान, एनआरसीसीएल के कार्यकलापों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान परियोजनाओं के केन्द्र में निम्नलिखित विशयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

1. चुने हुए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन।
2. बाल श्रम के निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना तथा बाल श्रम के स्थायीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों पर सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
3. बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कार्यनीतियां बनाना।
4. सफल अनुभव का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने के अवसर लागतों को स्पष्ट करना।

इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में जिन पहलुओं का अध्ययन किया गया है, उनमें समस्या की मात्रा, श्रमिक शोषण के लिए बच्चों की तस्करी, बाल श्रमिकों की कमजोरियां एवं असुरक्षिताएं, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, विधायी रूपरेखा और कानूनों का प्रवर्तन, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, जीवन तथा कार्य दशायें, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि शामिल हैं। एनआरसीसीएल ने कई अनुसंधान अध्ययनों और प्रमुख मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया है।

iwjh dh xbZ ifj;kstuk,a

1- Hkkjr esa cky Je dh jksdFkke ,oa vuqfØ;k ds fy, dkjxj dk;Zuhfr;ka ,oa rduhd fodflr djuk ¼;wuhlsQ&oh-oh-th-,u-,y-vkbZ lg;ksxkRed ifj;kstuk½

इस परियोजना का उद्देश्य भारत में बाल श्रम की अधिकता वाले आठ राज्यों में कामकाजी बच्चों की संख्या में कमी लाना था। चूंकि कामकाजी बच्चों एवं स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में उच्च सह–संबंध है, अतः बाल श्रम की अधिकता वाले राज्यों में कामकाजी बच्चों की संख्या में कमी लाना, स्कूल जाने वाले एवं सीखने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि करने में योगदान देगा। इस परियोजना के उद्देश्य थेः i) एक प्रशिक्षण मॉड्यूल, और एक व्यापक पुस्तिका, जिसका उपयोग राज्य एवं जिला स्तरीय सरकारी विभागों एवं संबंधित एजेंसियों द्वारा बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया बेहतर समन्वित ढंग से करने के लिए अपनी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के साथ–साथ अन्य हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारी को अच्छे से समझने के लिए किया जा सकता है, विकसित करना, ii) बाल श्रम की समस्या पर जागरूकता एवं संवेदीकरण को बढ़ा करके बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए राज्य स्तरीय हितधारकों की क्षमता को सुदृढ़ करना, और उन्हें अधिक समन्वित दृष्टिकोण के द्वारा बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए आवश्यक कौशलों एवं जानकारी से लैस करना, iii) बाल श्रम की समस्या पर जागरूकता एवं संवेदीकरण को बढ़ा करके बाल श्रम

की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए जिला स्तरीय हितधारकों की क्षमता को सुदृढ़ करना, और उन्हें अधिक समन्वित दृष्टिकोण के द्वारा बाल श्रम की रोकथाम एवं अनुक्रिया के लिए आवश्यक कौशलों एवं जानकारी से लैस करना, iv) बाल श्रम पर मॉडल प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना, जिसे समुदाय स्तर की संरचनाओं के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों में समेकित किया जा सकता है, v) बाल श्रम के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता निर्माण पर एक घटक को शामिल करने के लिए सहभागी राज्यों को कहना।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को मई 2015 में शुरु, एवं अक्टूबर 2016 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd: Mk- gyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyk½

2- Hkkjr es cky Je dh fLFkfr% #>kuks dk ekufp=.k

इस अध्ययन की परिकल्पना शहरी एवं ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में जिला–स्तर पर काम करने वाले बच्चों की संख्या के साथ–साथ कामकाजी बच्चों के संकेंद्रण के क्षेत्रों का आकलन करने के लिए की गई थी। उपलब्ध डाटा से इस अध्ययन में उन भौगोलिक इलाकों, जहां बाल श्रम की अधिकता अपेक्षित है, की पहचान की गयी। इसका उद्देश्य बाल श्रम की रोकथाम में राज्यों के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न स्तरों पर जरूरी हस्तक्षेपों, कार्यनीतियों और नीतिगत पक्ष–समर्थन को दिशा प्रदान करना था। इसका लक्ष्य विभिन्न राज्यों में बाल श्रम के परिमाण एवं प्रकार के साक्ष्य के माध्यम से बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को सुदृढ़ करना था ताकि इसका अधिक से अधिक प्रभाव हासिल करने के लिए कार्यनीतिक एवं प्रभावी तरीकों से संकेंद्रित हस्तक्षेपों को अपनाया जा सके। इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: i) वर्ष 2011 एवं 2001 के जनगणना डाटा के आधार पर देश में बाल श्रम की स्थिति और निवास, साक्षरता स्तर, शिक्षा एवं सामाजिक समूहों के आधार पर बाल श्रम को अलग–अलग कर उसका विश्लेषण करना; ii) बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्यों और एक राज्य के अंदर जिलों में और निवास एवं सामाजिक समूहों में भी बदलाव का मानचित्रण करना, एनएसएसओ, एकत्रीकरण के उचित स्तरों पर बाल श्रम के एएचएस सहित अन्य गौण डाटा की समीक्षा एवं विश्लेषण करना; iii) उन जिलों एवं विकास खंडों की पहचान करना जिन्हें बाल श्रम के मुद्दों का समाधान करने के लिए ठोस एवं विशेष कार्यक्रम करने की आवश्यकता है; तथा iv) बाल श्रम में कमी लाने/इसके उन्मूलन के लिए उपयुक्त सिफारिशें खोजना।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2015 में शुरु, एवं जनवरी 2016 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd: Mk- ,yhuk lkearjk;] ,lksf,V Qsyk
,o Mk- gyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyk½

3- ckxku lDVj e NkV ckxkuk e ikfjokfjd Je% nf{k.k Hkkjr d pfunk {k=k e efgykvk ,o cPPkk ij fo'k"k Qkdl d lkFk v/;;u

इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देष्य थे: i) छोटे बागानों में रोजगार के हिस्से के तौर पर महिलाओं एवं बच्चों सहित 'परिवार' के काम में लगने की प्रकृति एवं सीमा तथा उसके आर्थिक प्रभावों को समझना; ii) यह अध्ययन करना कि वे कौन से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ और कारक हैं जिनसे छोटे बागानों में अधिक पारिवारिक श्रम, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की अधिक भागीदारी होती है; iii) छोटे बागानों में पारिवारिक श्रम में लैंगिक स्थिति की जाँच करना; iv) यह जाँच करना कि पारिवारिक श्रम में बच्चों के काम में लगने से उनकी शिक्षा, कौशल विकास एवं आकांक्षाओं पर क्या प्रभाव पड़ते हैं; v) यह समझना कि पारिवारिक श्रम को महिलाओं एवं बच्चों द्वारा कैसा मानते हैं तथा इससे कोई विशिष्ट सामाजिक संबंध बनता है/सुदृढ़ होता है कि नहीं; vi) सामाजिक सुरक्षा उपायों की सीमा का पता लगाना और इस सैक्टर में श्रमिकों को संगठित करना; तथा vii) वस्तु व्यापार में छोटे व्यापारियों/उत्पादाकों के विकास, योगदान एवं उनकी द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की जाँच करना।

इस अध्ययन में यह पाया गया कि नीलगिरि और कुर्ग में छोटे उत्पादक मुख्य तौर पर पारिवारिक श्रमिकों प्रयोग करते हैं तथा दिहाड़ी मजूदरों का प्रयोग चाय बागानों में व्यस्ततम समय में तथा कॉफी बागानों में कटाई के व्यस्ततम समय में करते हैं। पारिवारिक भूमि धारण वाले बागानों में बच्चों द्वारा काम करने के मामले आजकल गिने–चुने हैं। अगली पीढ़ी शायद छोटे बागानों को रखने में रुचि न ले तथा यह अन्य वैकल्पिक आजीविका की तलाश में आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में चाय और कॉफी बागान किसी प्रकार से मोनोकल्चर वाले नहीं हैं बल्कि विविध फसलों एवं संबंधित कार्यकलापों का हिस्सा हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था केवल चाय या कॉफी की कीमतों पर निर्भर नहीं है। इस तरह के विविधीकरण के कारण प्राथमिक फसलों के उत्पादन में शामिल जोखिम कारक काफी हद तक कम हो गये हैं तथा यह पूर्वोत्तर में समान तरह के छोटे चाय उत्पादकों के विपरीत है। इस अध्ययन से यह अनुमान लगा कि छोटे बागानों में चाय या कॉफी का उत्पादन करना फायदेमंद है हालांकि लाभ की मात्रा उतनी अधिक नहीं है। इसमें यह भी पता चला कि चाय के छोटे उत्पादकों के पास अपनी विनिर्माण सुविधाएं एवं खरीदी–पत्ती कारखाने नहीं हैं, वे अवसर का उपयोग करते हैं तथा पर्याप्त लाभ कमाते हैं। इस अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि सभी संबंधितों, विशेषकर छोटे उत्पादकों के लिए सहकारी उत्पादन इकाइयों की स्थापना काफी महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता चेतना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ प्रयास किये जाने चाहिए क्योंकि तोड़ी गयी हरी पत्तियों की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय है। श्रमिकों की कमी एक बड़ा मुद्दा है और अगली पीढ़ी द्वारा उदासीन होने के कारण यह कमी और बढ़ने वाली है।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु, एवं फरवरी 2017 में पूरा किया गया।

¼ifj;ktuk fun'kd: Mk- fdx'kd ljdkj] Qyk½

tkjh ifj;kstuk,a

1- jk"Vªh; cky Je ifj;kstuk dh çHkkoh dk;kZUo;u ds fy, ftyk&Lrjh; fgr/kkjdksa dk lonsnhdj.k djus ,oa mudh {kerk c<+kus gsrq pfqfunk ftyksa esa cPpksa ds jkstxkj dk {ks=h; fo'ys"k.k

संसद द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को 22 जुलाई 2016 को संशोधित किया गया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 को 01 सितम्बर 2016 को अधिसूचित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य साहित्य की व्यापक समीक्षा करके तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अधिनियम के तहत संशोधित कानूनी प्रावधानों पर नियमों को तैयार करने के लिए देष भर में विभिन्न सामाजिक भागीदारों से नियमित आधार पर लिए गए विचारों, दृष्टिकोणों, सुझावों और टिप्पणियों का सार निकालते हुए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में संशोधित बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, के तहत नियमों के निर्धारण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इस परियोजना के उद्देश्यों में कार्यक्रम प्रबंधकों, एनसीएलपी के परियोजना निदेशकों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना, संशोधन अधिनियम एवं इसके प्रावधानों पर श्रम प्रवर्तन तंत्र को जागरूकता प्रदान करना तथा मसौदा नियमों पर बहु–सामाजिक भागीदारों के राष्ट्रीय स्तर के परामर्श में योगदान करना भी था। इसका उद्देश्य एनसीएलपी योजना के तहत बच्चों एवं किशोर श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिए डाटा संग्रहण साधनों को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना भी है। यह परियोजना अपने विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से सीएलपीआर अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उपायों, बाल श्रम की रोकथाम के लिए अन्य कार्यनीतियों के सुझाव देने के साथ ही कई तरह से योगदान देती है, जैसे तस्करी वाले एवं अंतर–राज्यीय प्रवासी बच्चों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की संस्तुति करना; बाल श्रम पर जागरूकता एवं संवेदीकरण को बढ़ा करके तथा अधिक समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से बाल श्रम को रोकने एवं इस पर अनुक्रिया के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ लैस करके जिला–राज्य स्तरीय हितधारकों की क्षमता को सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सिफारिश करना।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को नवम्बर 2016 में शुरु किया गया था, एवं इसे मार्च 2018 तक पूरा किया जाना है।

(ifj;kstuk funs'kd: MkW- gsyu vkj- lsdj] ofj"B QSyks)

2- çys[ku] fMftVyhdj.k ,oa çlkj ds ek/;e ls cky Je ds fu/kkZjdksa dk fu#) djuk ¼Qst&II½

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र बाल श्रम के उन राज्य–विशिष्ट मुद्दों, जिनके अकादमिक एवं विकासात्मक सोच, और नीति–निर्माण एवं विभिन्न समूहों के क्षमता–निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, पर सूचना एवं जानकारी को हासिल करने एवं उसका प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानकारी को प्रभावी ढंग से साझा करना इस बात पर निर्भर करता है कि आंतरिक रूप से

अधिग्रहीत ज्ञान उत्पादों को एनआरसीसीएल कितनी कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्रक्रियारत करता है और बाल श्रम का समाधान करने के लिए यह कौशलों एवं देश और दुनियाभर में विभिन्न क्षेत्रों से अधिग्रहीत ज्ञान उत्पादों का कितनी जल्दी फायदा उठाता है।

इस परियोजना के उद्‌देश्य इस प्रकार हैं: i) गैर–किताबी डाटा बेस, स्कैन किए हुए प्रलेखनों आदि का एक स्थान पर संग्रहण करना, ii) मांगकर्ताओं को बाल श्रम और अन्य संबंधित विषयों पर सही सूचना प्रदान करना, iii) अभिदत्त एवं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त डाटाबेस का उपयोग करने के लिए आंतरिक के साथ–साथ बाह्‌य उपयोगकर्ताओं के लिए प्रावधान करना।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को नवम्बर 2016 में शुरु किया गया था, एवं इसे मार्च 2018 तक पूरा किया जाना है।

(ifj;ktuk fun'kd: Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk)

3- cky JEk ij lexz dkuuh <kp ea cky Je ¼çfr"k/k ,o fofu;eu½ l'kk/ku vf/kfu;e] 2016 dk egRoi.k fo'y"k.k

भारत में मुख्य रूप से वयस्क श्रमिकों के रोजगार एवं वेतन को संरक्षित करने के उद्‌देश्य से बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी उपाय वर्ष 1881 में शुरु किये गये थे, हालांकि बाल श्रम की समस्या तब से ही है जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तथा मानव गरिमा एवं श्रम को सबसे सस्ती कीमत पर बिक्री योग्य वस्तु के रूप में माना जाना शुरु हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी में कई घटनाएं हुईं जिन्होंने बच्चों की कानूनी स्थिति में परिवर्तन ला दिया। यह परिवर्तन मुख्यतः इस अहसास के साथ हुआ कि समाज बाल देखभाल की जिम्मेदारी को अस्वीकार नहीं कर सकता है तथा 'राज्य संरक्षण' के तहत कानूनी ढांचे के केंद्र में बच्चे आने शुरु हुए। बाल श्रम की रोकथाम के कानूनों की शुरुआत तथा अनिवार्य शिक्षा ऐसे दो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे जिन्होंने बच्चों की कानूनी स्थिति को प्रभावित किया। जब बच्चों का श्रमिक शोषण आम हो गया तो बाल श्रम को एक सामाजिक समस्या मानना एवं इससे उनकी रक्षा करना सबसे मुख्य मुद्‌दा बना। इस अध्ययन के उद्‌देश्य इस प्रकार हैं: i) इन शोध अध्ययनों की प्रकृति और प्रयुक्त तरीकों, उपकरणों एवं विश्लेषणात्मक उपकरणों को समझने के लिए बाल श्रम नीति और कानून पर शोध एवं अन्य साहित्य की पहचान एवं जांच करना; ii) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की खासियत का विष्लेषण करना; iii) संशोधित अधिनियम को लागू करने के लिए श्रम प्रवर्तन तंत्र की मौजूदा क्षमता की जांच करना; iv) संशोधित अधिनियम में निषिद्ध खतरनाक व्यवसायों में बाल और किशोर श्रम का समाधान करने के लिए आवश्यक संरचना और तंत्र का पता लगाना; और v) अनुसंधान निष्कर्ष एवं विश्लेषण का प्रलेखन करना तथा संस्तुति करना।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2017 में शुरु किया गया था, एवं इसे अप्रैल 2017 तक पूरा किया जाना है।

(ifj;ktuk fun'kd: Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk)

4- Hkkjr e dkedkth cPpk dh fLFkfr ij jkT; fof’k"V çkQkby fodflr djuk

भारत ने बाल श्रम के विविध प्रकारों के उत्तरोत्तर उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को 1987 में अंगीकृत किया, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम में जुलाई 2016 में संशोधन किए तथा आईएलओ अभिसमय 138 एवं 182 का अनुसमर्थन करने के लिए प्रयासरत है। हालांकि, बाल श्रम का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार निरंतर कार्रवाई करने के बावजूद बच्चों द्वारा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में काम करना जारी है। प्राकृतिक आपदाओं एवं सामाजिक संघर्षों ने पहले से ही जटिल एवं व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को बढ़ा दिया है, और इससे बाल श्रम का फैलाव होता है। बाल श्रम पर नियंत्रण में सहायता के लिए साक्ष्य आधारित मंच प्रदान करने के लिए आठ राज्यों नामतः बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश में कामकाजी बच्चों के परिमाण एवं प्रोफाइल की गहन जाँच करनी है। तदनुसार, इस अध्ययन का उद्देश्य इन आठ राज्यों तथा पूरे देश भर में कामकाजी बच्चों के प्रति एक प्रभावी अनुक्रिया सुगम बनाने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों, सिविल सोसायटी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बाल श्रम का पहला व्यापक प्रोफाइल प्रदान करना है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में काम करने वाले बच्चों के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करना है। तदनुसार, अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: i) चयनित राज्यों में काम करने वाले बच्चों की प्रोफाइल स्थिति; ii) विभिन्न व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बाल श्रम की सीमा का अध्ययन करना; iii) बाल श्रम से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों, कानून ढांचे तथा संस्थागत संदर्भों का आमलन करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से इस अध्ययन में अनुसंधान विधियों की बैटरी को पूरा करेगा। विभन्न शैक्षणिक, विकासात्मक एवं सरकारी साहित्य से गौण डाटा का संग्रहण किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी तथा फिर मूल्यांकन किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सिविल सोसायटी भागीदारों के साथ–साथ बाल श्रमिकों सहित सभी हितधारकों के साथ गहन विचार–विमर्श किया जाएगा। बच्चों के काम एवं परिस्थितियों के बारे में गुणवत्तापूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से मामला अध्ययन किए जाएंगे।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को फरवरी 2017 में शुरु किया गया था, एवं इसे अक्टूबर 2017 तक पूरा किया जाना है।

(ifj;ktuk fun’kd: Mk- gyu vkj- ldj] ofj"B Qyk)

5- jk"Vh; cky Je ifj;ktuk d fu"iknu d ifj.kke dh leh{kk

भारत में बाल श्रम की स्थिति काफी गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण है और इसने नीति–निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अनेक सकारात्मक उपाय किये हैं। भारत के संविधान ने सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाये हैं तथा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6–14 वर्ष के आयु–वर्ग

के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में बनायी गयी, बाल श्रम के उन्मूलन तथा शोषण से सभी बच्चों के संरक्षण के लिए इस नीति के अनुरूप उद्देश्य एवं प्राथमिकताएं तय किये गये। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के तीन घटक इस प्रकार हैं: (क) बाल श्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों के सख्त एवं प्रभावी प्रवर्तन पर जोर देता है, (ख) बच्चों एवं उनके परिवारों के लाभ के लिए आम विकास कार्यक्रमों पर फोकस करना, और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के कार्यान्वयन के द्वारा बाल श्रम के उच्च संकेद्रण वाले क्षेत्रों पर परियोजना–आधारित कार्रवाई योजना। इस प्रकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं राष्ट्रीय बाल श्रम नीति से शुरु होती हैं। अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं: i) बाल श्रम के मुद्दे का समाधान करने में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम की प्रभावकारिता और एनसीएलपी स्कीम का जारी रखने की आवश्यकता की जाँच करना; ii) जिला परियोजना सोसायटी स्तर पर जागरूकता सृजन के प्रभाव का अध्ययन; iii) जिला परियोजना सोसायटी स्टाफ के इष्टतम उपयोग का आकलन करना; iv) जिला परियोजना सोसायटी के कार्यालय में आईटी एवं आईटी संबंधी अवसंरचना की उपलब्धता तथा समुचित उपयोग की जाँच करना; v) जिला परियोजना सोसायटी (डीपीएस)/विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की चुनौतियों का अध्ययन करना; vi) मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य जाँच, एसएसए स्टेशनरी/पाठ्यक्रम सामग्री/पोशाक आदि की स्कीमों के साथ अभिसरण स्थिति का अध्ययन करना; vii) एनसीएलपी स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला परियोजना सोसायटी द्वारा अपनायी जा रही उत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करना।

यह अध्ययन प्राथमिक डाटा पर आधारित है तथा गौण डाटा से भी इसकी पुष्टि होती है। प्राथमिक डाटा भारत के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में जिलों की पहचान करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली के बाद जिला परियोजना सोसायटियों से एकत्रित किया जाता है। यह अध्ययन एनसीएलपी के कार्यनीतिक ढांचे, उद्देश्यों, कार्यकलापों तथा परियोजना के कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण में विभिन्न हितधारकों एवं सामाजिक भागीदारों की समीक्षा करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन परियोजना सोसायटियों और एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कार्यचालन से संबंधित डाटा को भी प्रकाश में लाता है। कार्यप्रणाली एवं प्रतिकृति बनाने हेतु अनुभवों के दस्तावेजीकरण के अलावा विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में उनके विचार जानने तथा परियोजना के विभिन्न वितरकों पर उनकी धारणा का आकलन करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधकों, परियोजना निदेशकों, एनजीओ, सहित विभिन्न अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के साथ गहन विचार–विमर्श किया जाएगा

v/;;u dk 'k# ,o ijk djus dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2017 में शुरु किया गया था, एवं इसे अप्रैल 2018 तक पूरा किया जाना है।

(ifj;kstuk funs'kd: Mk- gyu vkj- lsdj] ofj"B Qsyks]
Mk- ,yhuk lkeUrjk;] ,lksfl,V Qsyks] Mk- fdax'kqd ljdkj] Qsyks]
,oa Mk- vuwi d- lriFkh] Qsyks)

jkstxkj laca/k vkSj fofu;eu dsUnz

रोजगार संबंध और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले, वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

ijh dh xbZ ifj;kstuk,¡

1- jkT; ljdkjksa }kjk gky gh esa fd, x, Je dkuwu lq/kkjksa dk çHkko ¼jktLFkku] mÙkj izns'k] gfj;k.kk vkSj vkU/kz izns'k½

lanHkZ%

1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में आर्थिक गतिविधियों के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के बाद पिछले लगभग 25 वर्षों में कार्य एवं रोजगार दशाओं में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इनमें से कई परिवर्तन उद्योग द्वारा सामना की गई नई चुनौतियों के परिणाम थे। इन वर्षों में, वाणिज्य और उद्योग चैम्बर ने वर्तमान संदर्भ के अनुसार श्रम कानूनों में सुधार हेतु प्रस्ताव के साथ लगातार केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकारों से संपर्क किया। सरकारों ने पिछले वर्षों में पेश किए गए प्रस्तावों की खूबियों का अध्ययन करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं और इनमें से ऐसे कुछ प्रस्तावों, जिन्हें व्यवहार्य पाया गया एवं जिन पर आवश्यक आम सहमति बन पायी थी, पर संशोधनों में अमल किया गया है। हालांकि, कतिपय अन्य प्रस्तावों पर आम सहमति नहीं बन पाने से ये प्रस्ताव विचारार्थ लंबित हैं। इस स्थिति के मद्देनजर और उद्योग को सुगम बनाने एवं कामगारों के रोजगार अवसरों की दृष्टि से विभिन्न राज्य सरकारों ने संशोधनों के माध्यम से और कुछ मामलों में कानून के तहत, जहां राज्य सरकारें कानून द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं, अधिसूचना जारी करके नवाचारी कदम उठाये हैं।

इस अध्ययन (वीवीजीएनएलआई की महापरिषद के निर्देशों पर शुरु किया गया) में संबंधित राज्यों से ऐसे नवाचारी उपायों, अधिसूचनाओं तथा श्रम सुधारों की दिशा में किए गए राज्य–विशिष्ट संशोधनों का संग्रहण तथा इन उपायों को शुरु करने के बाद वास्तविक प्रभाव का विश्लेषण किया गया। इस प्रभाव–विश्लेषण में व्यापार को आसान बनाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, रोजगार के साथ–साथ मजूदरी, कार्य घंटों एवं सामाजिक सुरक्षा आदि सहित कार्य एवं रोजगार दशाओं के स्तर पर प्रभाव को कवर किया गया।

v/;;u dk {k=] nk;jk ,o i)fr

इस अध्ययन में कवर किए गये राज्य इस प्रकार हैं: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। वर्तमान अध्ययन के तहत कवर किए गये श्रम अधिनियम हैं: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; कारखाना अधिनियम, 1948; संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा राज्यों द्वारा हाल ही में संशोधित राज्य अधिनियमों सहित कुछ और अधिनियम।

v/;;u d mnn’;%

- अध्ययन के कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं: अध्ययन के लिए चुने गये राज्यों द्वारा हाल के वर्षों में श्रम कानूनों में सुधार के उद्देश्य से किए गए विभिन्न नवाचारी उपायों, अधिसूचनाओं एवं राज्य–विशिष्ट संशोधनों को एकत्र करना।
- राज्य सरकारों द्वारा शुरु किए गए विभिन्न श्रम कानून सुधार उपायों के संबंध में विभिन्न हितधारकों की धारणा को प्राप्त करना।
- आम तौर पर औद्योगिक संबंध परिदृश्य पर विभिन्न श्रम सुधार पहलों के प्रभाव का आकलन एवं मूल्यांकन करना।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण, व्यापार को आसान बनाना, रोजगार, कार्य एवं रोजगार दशाओं के स्तर और विशेष तौर पर सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विभिन्न श्रम सुधार उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

vu|l/kku v/;;u dk ifj.kke%

यह अध्ययन चयनित राज्य सरकारों द्वारा श्रम सुधार के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवाचारी उपायों के साथ–साथ उनके परिणामस्वरूप हुए वास्तविक प्रभाव की पहचान करता है। वास्तविक प्रभाव के अध्ययन के साथ ऐसे उपायों का संकलन, उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन से अन्य राज्यों के लिए उपयोगी होगा।

v/;;u dk 'k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2016 में शुरु, एवं मार्च 2017 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk fun'kd : Mk- lt; mik/;k;] Qyk)

2- xqtjkr] e/; çns'k vkSj if'pe caxky jkT;ksa esa Je dkuwu lq/kkjksa dk egRoiw.kZ fo'ys"k.k

v/;;u ds mís';%

- इन तीन राज्यों द्वारा किए गये श्रम कानून सुधारों की प्रकृति की जांच करना
- हितधारकों पर इन सुधारों के प्रभावों का विश्लेषण करना
- आम तौर पर राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध परिदृश्य पर इन सुधारों के संभावित प्रभाव की जांच करना।

vuqla/kku v/;;u dk ifj.kke%

- इन तीन राज्यों द्वारा किए गये प्रमुख सुधार पहलों को सूचीबद्ध किया गया।
- सुधार की प्रक्रिया एवं हितधारकों की सहभागिता की सीमा का विश्लेषण किया गया।
- प्रत्येक सुधार प्रक्रिया के प्रभाव को गंभीर रूप से जांचने का प्रयास किया गया।
- सुधारों को पारित करने में अंतर–राज्यीय समानताओं एवं विविधताओं को दर्शाया गया।
- संबंधित परिप्रेक्ष्य से हितधारकों पर सुधारों की पुनरीक्षा का स्पष्ट रूप से प्रसार करने का प्रयास किया गया।
- नीतिगत अनुशंसा तथा भविष्य में संभावित अनुसंधान एजेंडे का सुझाव दिया गया।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को मई 2016 में शुरु, एवं दिसम्बर 2016 में पूरा किया गया।

¼ifj;kstuk funs'kd : MkW- fdj.k 'kadj ljdkj] QSyks½

Tkkjh ifj;kstuk,a

1- Hkkjr esa Je ç'kklu] Je fujh{k.k ,oa lkekftd laokn ij ekufp=.k v/;;u dh leh{kk ,oa la'ys"k.k

mís';%

यह अध्ययन सामाजिक संवाद एवं श्रम प्रशासन पर चार प्रारंभिक मानचित्रण अध्ययनों पर आधारित है। ये अध्ययन चार राज्यों नामतः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में किये गये थे। यह रिपोर्ट एक राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन 'श्रम प्रशासन के निष्पादन को बढ़ाना' में भी है जिसे वैश्विक अध्ययन के एक भाग के तौर पर कमीशन किया गया था। यह वैश्विक अध्ययन 20 देशों मे किया गया था। बाद वाले अध्ययन में केंद्रीय श्रम प्रशासन तथा दो राज्यों पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक से भी जानकारी ली गयी।

इस अध्ययन का उद्देश्य आम प्रवृत्तियों एवं चुनौतियों की पहचान करने, अच्छी प्रथाओं एव नवाचारों के उदाहरण प्रस्तुत करने, नीतिगत विचारों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उजागर करने के उद्देश्य से मुख्य निष्कर्षों की छानबीन करना है।

यह अध्ययन भारत में जटिल कानूनी ढांचे तथा श्रम प्रशासन को मजबूत बनाने वाले संस्थागत तंत्र का पता लगाने का प्रयास करता है। यह रिपोर्ट पुरानी प्रबंधन प्रणाली सहित कमजोर संस्थागत क्षमता, कम स्टाफ एवं खराब समन्वय को मुख्य बाधाओं के तौर पर उजागर भी करती है। विशेष रूप से यह स्पष्ट है कि भारतीय कार्यबल की अत्यधिक अनौपचारिक प्रवृत्ति खासकर श्रम निरीक्षण एवं प्रवर्तन के परिप्रेक्ष्य से अद्वितीय श्रम प्रशासन चुनौतियां पेश करती है।

इस अध्ययन में त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद से संबंधित मुख्य चुनौतियों के साथ–साथ किन्हीं अच्छी प्रथाओं के उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला गया है। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद को मजबूत बनाने हेतु सिफारिश भी की गयी है। रिपोर्ट में आगे राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय संस्थागत तंत्रों यथा श्रम सलाहकार समिति, कल्याण बोर्ड, न्यूनतम मजूदरी बोर्ड और औद्योगिक संबंध समिति के बारे में बताया गया है। इन संस्थागत तंत्रों द्वारा कई मामलों में पर्याप्त रूप से कार्य न करने के बावजूद इन्हें शासन के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण और प्रासंगित माना जाता है।

vuqlU/kku v/;;u dk ifj.kke%

- ✓ पिछले ढाई दशकों में श्रम बल के अत्यधिक अनौपचारीकरण की अनुक्रिया में सरकार ने मुख्य रूप से राज्य–विशिष्ट कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन किया है। ये बोर्ड त्रिपक्षीय प्रकृति के हैं तथा इनका गठन तीन हितधारकों राज्य, नियोजक संगठन तथा ट्रेड यूनियन से बराबर संख्या में सदस्य लेकर किया जाता है।
- ✓ केरल के अलावा अन्य तीनों राज्यों में सामाजिक संवाद प्रभावी नहीं रहा है। केरल में त्रिपक्षीयता एवं मजूदर वर्ग एकता की अभी भी मजबूत संस्कृति है। बेहतर कार्य एवं जीवनदशाओं के साथ–साथ मजूदरी सुनिश्चित करने में यहां पर कार्यरत ट्रेड यूनियनें बहुत मुखर एवं प्रभावी हैं।
- ✓ केरल के अलावा अन्य तीनों राज्यों में विभिन्न सांविधिक एवं गैर–सांविधिक बोर्डों/समितियों ने एक निश्चित सीमा तक अपनी प्रभावकारिता खो दी है क्योंकि कुछ मामलों में ऐसे बोर्डों का पुनर्गठन लंबित रखा गया है तो कुछ अन्य मामलों बार–बार अनुनय के बाद भी सदस्यों को नामित नहीं किया जा रहा है।
- ✓ केरल के अलावा अन्य राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में पिछले ढाई दशकों में ट्रेड यूनियनों की सौदेबाजी की शक्ति में कमी आई है।
- ✓ राज्य मूल रूप से श्रम मानकों के नियामक के रूप में कार्य करने के बजाय पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- ✓ कुछ हद तक केरल के अलावा, सभी राज्यों में निरीक्षण तंत्र की कठोरता हाल के दिनों में मंद पड़ने के प्रमाण मिले हैं। यह अखिल भारतीय फिनॉमिना का हिस्सा है और नव–उदार आर्थिक वातावरण का परिणाम है। जहां एक राज्य औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में दूसरे राज्य से प्रतिस्पर्धा करता है और खुद को सस्ते श्रम गंतव्य के रूप में पेश करने की कोशिश करता है।
- ✓ विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में भी क्षमता से काफी कम काम किया गया।
- ✓ श्रम प्रशासन स्वयं ही कुछ बाधाओं से ग्रस्त है। कार्य पूरा करने के लिए भौतिक अवरसंरचना एवं स्टाफ अपर्याप्त हैं। भौतिक अवरसंरचना एवं स्थान काफी सीमित हैं तथा ये अत्याधुनिक तकनीक/नवाचार से काफी कम हैं। औसतन 40 प्रतिशत मानव संसाधन रिक्त हैं।
- ✓ श्रम प्रशासन द्वारा सामना की जा रही तात्कालिक चुनौती यह है कि बढ़ते अनौपचारीकरण से कैसे निपटा जाएं? श्रम बल का अनौपचारीकरण अभी एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया लगती है।
- ✓ सुलह के लिए उठाये गये विवादों की संख्या पिछले वर्षों में काफी कम हो गयी है। द्विपक्षीय संवाद को त्रिपक्षीय संवाद पर तरजीह दी जा रही हैं। केंद्रीय उद्योग–व्यापी ट्रेड यूनियनों की जगह धीर–धीरे इकाई–विशिष्ट यूनियन की गतिविधियां ले रही हैं।
- ✓ सभी चार राज्यों में उत्तम नौकरियों की काफी कमी है। निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी, लंबे कार्यघंटे, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों का विलयन, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव, स्पष्ट नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों का अभाव, लिखित अनुबंधों को समाप्त करना आदि से उत्तम नौकरियों की कमी स्वतः ही प्रकट होती है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु किया गया, एवं इसे नवम्बर 2017 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd : Mk- fdax'kqd ljdkj] Qsyks)

,dhdr Je bfrgkl vuqla/kku dk;Øe
¼vkbZ,y,pvkjih½

,dhdr Je bfrgkl vuqla/kku dk;Øe% ifjp;

- वीवीजीएनएलआई में आईएलएचआरपी की स्थापना 24 जुलाई 1998 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन्स (एआईएलएच) के सहयोग से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर की गयी। इस एमओयू का नवीकरण हर पाँच वर्ष में किया जाता है, पिछली बार यह नवीकरण 2015 में किया गया है।

dk;Øe dh lajpuk

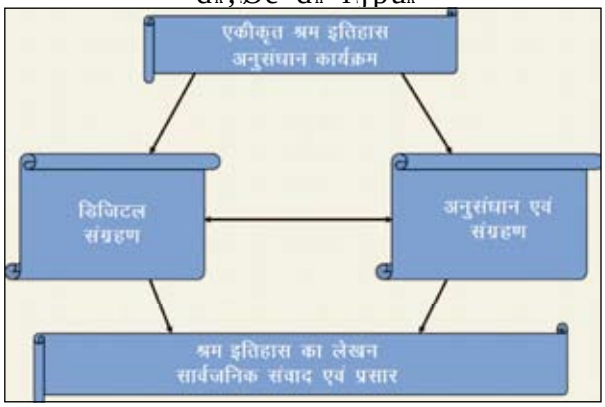

- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना तथा संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड का परिरक्षण करना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का समसामयिक नीति–निर्माण के साथ एकीकरण करना भी है।

dk;Øe dh lajpuk

- भारतीय श्रमिकों के डिजिटल अभिलेखागार की विशेषताएं
- पूर्णतया डिजिटल संरचना
- एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली
- सवंर्धित उपयोगकर्ता पहुंच
- ऐतिहासिक एवं समसामयिक रिकॉर्ड का एकीकरण

ekfyd lxzg.k ,oa iquZ% çkfIr

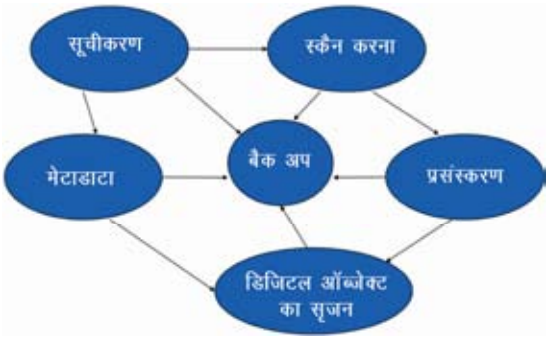

fMftVy vfHkys[kkxkj dh eq[; ;kstuk çfØ;k

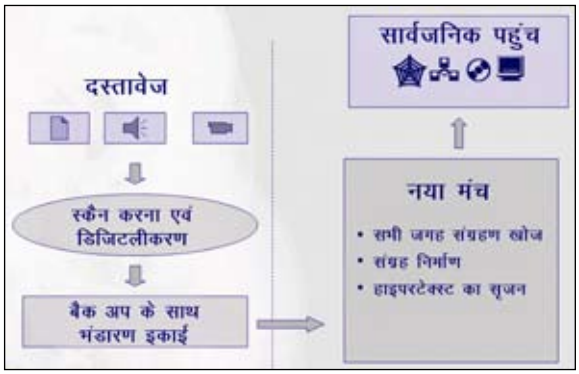

- असंगठित सैक्टर के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर फोकस

Áeq[k laxzg.k ifj;kstuk,¡

1- nfyr vkanksyu ,oa JEk vkanksyu dk bfrgkl% ,d vuqla/kku ,oa laxzg.k ifj;kstuk ¼Qst v½

- मुंबई से सामग्री का संग्रहण (सुबोध मोरे एवं अंबेडकर संग्रहण)
- 8000 पेजों का डिजिटलीकरण
- दलित श्रमिक आंदोलन पर स्रोत पुस्तिका तैयार की

2- vkfM;ks laxzg.k dk fMftVyhdj.k&Qst II

- आईएलएचआरपी के पास सभी महत्वपूर्ण ऑडियो का संग्रह है।
- इनमें सबसे प्रमुख ''भारतीय श्रम आंदोलन के मौखिक इतिहास का दस्तावेजीकरण'' है और इसमें 300 टेप हैं। श्रम इतिहास कैसेटों के परिरक्षण के लिए नई विधियों एवं दृष्टिकोणों की आवश्यकता है।
- 300 ऑडियो कैसेटों को एमपी3 फॉर्मेट में परिवर्तित करना।
- मेटाडाटा तथा अनुक्रमण कार्य पूरा कर लिया गया है।
- एमपी3 में बेहतर गुणवत्तायुक्त परिवर्तन के लिए टेप का भंडारण एवं परिरक्षण

3- Uk;s çLrkfor rduhdh IyVQkWeZ ds laxr nLrkostksa dk fMftVyhdj.k

	पेज
▪ नेशनल कमीशन ऑन लेबर	15,000
▪ ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड्स	10,100
▪ अखबारों का संग्रहण	8,400
▪ हड़तालों संबंधी सूचनाओं का संग्रहण	9,350

Lkrr rduhdh IyVQkWeZ ds fy, varjk"Vªh; lg;ksx

- परियोजना यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन तथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हिस्ट्री के सहयोग से एक पायलेट परियोजना शुरु की गई।
- चयनित संग्रह के पुनः स्कैन की गई सामग्री का एक बड़े हिस्से को स्थानांतरित किया गया।
- स्थानांतरित की गई सामग्री का मेटाडाटा सृजन पूरा किया गया।

Xykscy yscj fgLVªh uSVodZ ij igyh varjk"Vªh; dk;Z'kkyk

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरिअंस तथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हिस्ट्री, एमस्टर्डम के सहयोग से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में 03–04 मार्च 2017 के दौरान 'ग्लोबल लेबर हिस्ट्री नेटवर्क' पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में श्रम इतिहास के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान एवं संग्रहण करने में विशेषज्ञता हासिल करने वाले 40 प्रसिद्ध विद्वानों ने भाग लिया।

यह सम्मेलन आयोजित करने के दो मुख्य लक्ष्य थे। पहला, अनुसंधान पर जानकारी को साझा करके, डाटा संग्रह के द्वारा, जानकारी को साझा एवं संग्रहित करके, तथा अभिलेखागारों एवं अन्य ऐतिहासिक सामग्री का संरक्षण करके वैश्विक श्रम इतिहास में विशेषज्ञता हासिल करने वाले संस्थानों के नेटवर्क को मजबूत करना है। यह नेटवर्क स्वतंत्र एवं अपरिवर्तनीय श्रम, लिंग, प्रवासन, औपनिवेशिक श्रम, ट्रेड यूनियनों, अथवा व्यापक प्रासंगिकता के अन्य मुद्दों पर सहयोगी अंतरमहाद्वापीय कार्य समूह का गठन शुरू करने का प्रयास करेगा।

दूसरा, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (लचीलापान, रोबोटाईजेशन) में समकालीन नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करना। इस सम्मेलन में आधुनिक ग्रामीण एवं औद्योगिक कामगारों सहित श्रम के विभिन्न प्रकारों जैसे कि खनिकों, कारखाना कार्यकर्ताओं, कृषि कामगारों एवं गोदी कामगारों, तथा घरेलू नौकरों, देखभालकर्ताओं एवं अवैतनिक मजदूरों पर ध्यान दिया जाएगा।

इस सम्मेलन का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, डॉ. प्रभु महापात्रा एवं डॉ. राणा बहल, एसोसिएशन ऑफ लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) ने किया।

Je bfrgkl y[ku

श्रम इतिहास लेखन आईएलएचआरपी का एक अभिन्न हिस्सा है।

- इसके तहत, आईएलएचआरपी से संबद्ध विशेषज्ञों ने चार शोध पत्र तैयार किए गए।
  - ग्लोबल लेबर हिस्ट्रीः 2 ऐस्सेज़ –प्रो. मार्कल वान डर लिंडेन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हिस्ट्री, एमस्टर्डम
  - ए मूविंग टारगेटः दि वर्कर इनदि मिरर ऑफ लॉ इन इंडिया – डॉ. प्रभु महापात्रा, एआईएलएच तथा डॉ. एस. के. शशिकुमार, वीवीजीएनएलआई
  - इंडियन माइग्रेंट लेबर इन दि साउथ ईस्ट एशिया एंड असम प्लांटेशन इन दि ब्रिटिश इम्पीरियल सिस्टम – डॉ. राणा बहल, एआईएलएच
  - स्ट्राइक ब्रेकिंग ऑर दि रिफ्यूजल ऑफ सबाल्टरनिटी? इथनिसिटी क्लास एंड जेंडर इन 1930 इन छोटा नागपुर – डॉ. दिलीप साइमन, एआईएलएच

çdk'ku

- वर्नाकुलराइजेशन ऑफ लेबर पॉलिटिक्स – सब्यसाची भट्टाचार्य और राणा बहल द्वारा संपादित पुस्तक (इंटरनेशलन कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर हिस्ट्री में प्रस्तुत पत्र सहित) अप्रैल 2016
- वर्नाकुलराइजेशन ऑफ लेबर पॉलिटिक्सः अ पैराडिग्म शिफ्ट? – सब्यसाची भट्टाचार्य, लेबर एंड डेवलपमेंट में, जून 2016
- ग्लोबल लेबर हिस्ट्रीः 2 ऐस्सेज़ – प्रो. मार्कल वान डर लिंडेन, एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला में, 125/2017
- स्ट्राइक ब्रेकिंग ऑर दि रिफ्यूजल ऑफ सबाल्टरनिटी? इथनिसिटी क्लास एंड जेंडर इन छोटा नागपुर – दिलीप साइमन, एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला में, 126/2017

Je ,oa LokLF; v/;;u dsanz

स्वास्थ्य प्रणालियों की वह मात्रा, जो विभिन्न सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरा करती है, दुनियाभर में चिंता का विषय है। यह चिंता उन देशों में और भी अधिक है जो तेजी से आर्थिक विकास एवं संस्थागत बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य लाभों के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में समानान्तर निष्पक्षता उपलब्ध करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य प्रावधानों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के प्रमुख मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कामगारों के सामने उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्र के प्रमुख अनुसंधान कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

dsanz ds e[; vuqla/kku {ks=

- रोजगार एवं उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के नये रूप तथा रुग्णता के पैटर्न
- श्रम बाजार रूपान्तरण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इसकी चुनौतियां।
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एवं स्वास्थ्य व्यवहारः जाति, वर्ग, धर्म एवं लिंग के आधार पर इंटरफेस
- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली और इसके प्रभाव
- स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सामाजिक बीमा की भूमिका।

iwjh dh xbZ ifj;kstuk,a

1- jk"Vªh; LokLF; chek ;kstuk ¼vkj,lchokbZ½ ds dkMZ /kkjdksa ds MkVk dh lkekftd&vkfFkZd ,oa tkfr tux.kuk ¼,lbZlhlh½ MkVk ls rqyuk

यह अध्ययन श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निर्देश पर किया गया था। इस अध्ययन में विभिन्न राज्यों के कुछ गांवों में आरएसबीवाई के कार्ड धारकों के डाटा की सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) डाटा से तुलना की गई। चूंकि एसईसीसी डाटा चुनिंदा राज्यों एवं जिलों के ही उपलब्ध था, इसलिए इस अध्ययन को उन राज्यों/जिलों तक सीमित कया गया जिनके एसईसीसी डाटा, आरएसबीवाई के कार्ड धारकों के डाटा के साथ तुलना करने हेतु उपलब्ध थे।

v/;;u dks 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2015 में शुरु, एवं जून 2016 में पूरा किया गया था

(ifj;kstuk funs'kd : Mk- :ek ?kks"k] Qsyks)

tkjh ifj;kstuk,a

1- lHkh ea=ky;ksa ds lkekftd lqj{kk dk;ZØeksa@;kstukvksa dk v/;;u

यह अध्ययन आईएलओ अभिसमय 102 के बुनियादी सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों तथा सामाजिक संरक्षण संस्तुति संख्या 202 के अनुसार भारत में सभी मंत्रालयों के अधीन चल रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। इस अध्ययन में सभी सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों पर किए जाले वाले व्यय का अनुमान भी लगाया जाएगा।

(ifj;kstuk funs'kd : Mk- :ek ?kks"k] Qsyks)

Çyx ,o Je v/;;u dn

लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। पूरे विश्व में अनेक देशों की विकासात्मक नीतियों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रहे हैं। भुखमरी एवं गरीबी के उन्मूलन में तथा वास्तव में सतत विकास को पाने में वर्ष 2015 के सतत विकास के लक्ष्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता की केंद्रीयता को स्वीकार किया गया है। वैश्विक श्रम बाजारों में श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक आधार पर अंतर लगातार बने हुए हैं। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

श्रम बाजार लैंगिक अंतर विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा अक्सर ये और बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सीमित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा ये कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार यथा घरेलू कामगार, स्व–नियोजित, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह–आधारित कामगार, तथा कम कौशल, कम आय एवं कम उत्पादकता वाले प्रवासी कामगार होते हैं। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजदूरी में अंतर एक गंभीर मुद्दा है जिसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ पेश किया जाता है। उपलब्ध आंकड़े पक्षपातपूर्ण हैं तथा ये देश की अर्थव्यवस्था एवं इसके मानव संसाधनों की प्रकृति की विकृत धारणा को बनाए रखने में योगदान करते हैं, तथा अनुचित विचारों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की वजह से पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानता के दुश्चक्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। श्रम बाजार में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही बाधाओं को देखते हुए सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिहि्नत करने के लिए पूर्ण उत्पादक रोजगार और सामाजिक समावेश के नये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं पर्याप्त समानता, नीतियों के बारे में जागरूकता प्राप्त करने के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के कुछ मुख्य कार्यकलाप होंगे। इस रूपरेखा के तहत केंद्र की गतिविधियों में संस्थान की स्थिति को लिंग एवं श्रम बाजार के विभिन्न आयामों पर अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पक्षसमर्थन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बनाने की संकल्पना की गयी है।

iwjh dh xbZ ifj;kstuk,a

1- f'k{kk ,oa dk;Z txr esa vrajky% ,d ySafxd ifjçs{;

mís';

- विकसित एवं विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में नामांकन पैटर्न की समीक्षा करना
- राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में नामांकन पैटर्न – अंतर्राज्यीय तुलना की समीक्षा करना
- पिछले 10 वर्षों के दौरान पास आउट होने वाले छात्रों की रोजगारपरकता (अंशकालिक, पूर्णकालिक, गृहिणी आदि) की समीक्षा करना
- ऐसे पाठ्यक्रमों, जो सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से संबद्ध या मान्यताप्राप्त न हों, में पास आउट होने वाले छात्रों की रोजगारपरकता की समीक्षा
- शिक्षा और नौकरी के बीच विद्यमान असंतुलन की पहचान करना
- समान कार्य के लिए मजदूरियों में अंतर की पहचान करना
- शिक्षा और नौकरी के बीच असंतुलन के कारणों का पता लगाना
- रोजगार में पहले प्रवेश के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का पता लगाना
- काम की प्रकृति (स्थायी, अनियत) का पता लगाना
- शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी पाने तक का समय अंतराल
- समावेशी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने में अच्छी प्रथाओं वाले कतिपय संस्थानों पर फोकस करना।

vuqla/kku v/;;u dk ifj.kke%

सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 'सबके लिए शिक्षा (ईएफए)' एक वैश्विक प्रतिबद्धता है। ईएफए 'सबके लिए शिक्षा' पर 2000 में आयोजित वैश्विक सम्मेलन में शुरु किया गया था। 'सबके लिए शिक्षा' सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के तहत स्वीकृत आठ लक्ष्यों में दूसरा लक्ष्य भी है। पूरे विश्व में, यह सुनिश्चित करना भी एक चुनौती है कि शिक्षित युवा अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान करने हेतु तैयार और सक्षम हैं। संगत विशेषताओं, कौशल और ज्ञान के साथ स्नातकों के विकास ने युवाओं की रोजगारपरकता को शिक्षा के एजेंडे में मुख्य स्थान दिलाया है। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली एक व्युत्क्रम पिरामिड संरचना, जिसमें ऊपरी सतह मजबूत है और आधार कमजोर है, से ग्रस्त है। इसलिए केवल बेसिक शिक्षा पर फोकस करना काफी नहीं है तथा भविष्य के प्रशिक्षण की नींव और उद्योगों एवं श्रम बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल श्रमिकों

की आपूर्ति के लिए रोजगारपरकता को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता के द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि अधिकतर छात्र कौशल संघटक के बिना मानविकी में नामांकन करते हैं, समावेशी विकास की कल्पना करना बेकार होगा। यह अध्ययन ऐसे पहलों की संस्तुति करता है जिनका अनुगमन युवाओं एवं समाज की भलाई के लिए दूसरे संस्थान भी कर सकते हैं।

v/;;u dk 'k# ,o iljk dju dh frfFk

अध्ययन को जुलाई 2015 में शुरु, एवं मार्च 2017 में पूरा किया गया था

(ifj;ktuk fun'kd : Mk- 'kf'k ckyk] Qyk)

f'k{kk vkj jkstxkj e yfxd lekurk% ,d of'od ,o jk"Vh; ifjis{;

mnn';%

- शिक्षा और रोजगार में लैंगिक समानता का अध्ययन करना: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य
- शिक्षा और रोजगार में लैंगिक समानता का अध्ययन करना: एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

vul/kku v/;;u dk ifj.kke%

शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करने तथा उन बाधाओं, जो लड़कियों को स्कूल से दूर रखती हैं, को तोड़ने के लिए की गई पहलों एवं अभियानों के बावजूद हालांकि शिक्षा में लैंगिक असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, हाल के वर्षों में इसमें गिरावट देखी गई है। भारत सरकार ने देश में नियोजिक विकास के मार्ग का अनुसरण किया है तथा महिलाओ के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार एवं कार्यान्वित किया है। विशेष तौर पर महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाएं समय–समय पर कार्यान्वित की जा रही हैं। लेकिन अभी भी भारत में शिक्षा एवं रोजगार में लैंगिक समानता पाने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एलएफपीआर सबसे ज्यादा तेलंगाना (675) में पायी गयी। पुरुषों में सबसे ज्यादा एलएफपीआर तेलांगाना (619) और महिलाओं में त्रिपुरा (831) में है। इस आयु वर्ग में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की एलएफपीआर सभी राज्यों में ज्यादा है। इस अध्ययन में लैंगिक असमानता के शैक्षिक एवं श्रम बाजर प्रतिभागिता पहलुओं को समझने का प्रयास किया गया। इस अध्ययन में महत्वपूर्ण नीति एवं कार्यक्रम संबंधी सरोकरों के बारे भी बताया गया है जो शिक्षा एवं रोजगार में लैंगिक अंतर को कम करने में सहायक होंगे।

v/;;u dk 'k# ,o iljk dju dh frfFk

अध्ययन को मई 2016 में शुरु, एवं मार्च 2017 में पूरा किया गया था

(ifj;ktuk fun'kd : Mk- 'kf'k ckyk] Qyk)

3- efgykvk d dk;l dk le>uk% iokÙkj Hkkjr e ?kjy dkek e efgykvk dh lgHkkfxrk dk yfxd fo'y"k.k

v/;;u dh i"BHkfe

उपरोक्त अध्ययन में पूर्वोत्तर भारत में रोजगार के लैंगिक आयामों का विश्लेषण करने की कोशिश की गई तथा इसमें महिलाओं के काम की गतिकी का पता लगाया गया। इससे पुरुषों एवं महिलाओं के कामकाजी जीवन में लैंगिक भेदभाव के कारणों की महत्वपूर्ण समझ पाना संभव हुआ। इस अध्ययन में भारत में, और खासकर पूर्वोत्तर समाज में अवैतनिक काम की अवधारणा पर विचार किया गया तथा महिलाओं के काम की व्याख्या में आंतर–पारिवारिक गतिकी तथा संस्कृति एवं पुरुषों व महिलाओं की विभेदक सहभागिता के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया।

mnn';

- पूर्वोत्तर में महिलाओं के काम की बदलती प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।
- इस क्षेत्र में मौजूद उन विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों एवं व्यवहारों का पता लगाना जिनका महिलाओं की कामकाजी जिंदगी पर महत्वूपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- श्रम और सांस्कृतिक प्रथाओं पर परिवारों के विभाजन के संदर्भ में रोजगार, अवैतनिक देखभाल कार्य तथा पारिवारिक जीवन की गतिकी को समझना, इस प्रकार पारिवारिक कामों के आबंटन में सामाजिक मानदंडों की भूमिका का पता लगाना।
- महिलाओं की आर्थिक सहभागिता के लिए मौजूदा नीतियों को समझना तथा श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये जाने वाली नीतिगत पहलों का पता लगाना।

vuql/kku v/;;u dk ifj.kke

इस अध्ययन में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में महिलाओं के काम एवं आर्थिक सहभागिता में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशें की गईं। विशिष्ट नीतिगत आदानों (सामग्री) में श्रम बल सर्वेक्षणों में लिंग को मुख्यधारा में लाना, समय–उपयोग सर्वेक्षण के संचालन सहित समय का पुनर्वितरण, शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण पर जोर देना, परिवहन एवं बेहतर बुनियादी सुविधाओं का प्रावधानए नीतियों के कार्यान्वयन के लिए लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना तथा जेंडर बजटिंग का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

v/;;u dk 'kq# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को अप्रैल 2015 में शुरु, एवं मार्च 2017 में पूरा किया गया था

(ifj;kstuk funs'kd : Mk- ,yhuk lkerjk;] ,lksf l,V Qsyks)

tkjh ifj;kstuk,a

1- dk;LFky ij ;kSu mRihMu dh jksdFkke ij çf'k{kdksa dk çf'k{k.k eksM;wy

mn~ns';%

eksM;wy 1% यौन उत्पीड़न को समझना

eksM;wy 2% यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए वैश्विक पहल

eksM;wy 3% कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम में राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं

eksM;wy 4% कार्य की दुनिया में यौन उत्पीड़न को रोकना

eksM;wy 5% आंतरिक शिकायत समिति/स्थानीय शिकायत समिति के प्रभावी कार्यचालन की ओर

eksM;wy 6% कार्य की दुनिया में सतत समावेशी वातावरण का निर्माण

eksM;wy 7% अच्छी प्रथाएं

v/;;u dks 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को मई 2016 में शुरु, एवं अगस्त 2016 में पूरा किया गया था

(ifj;kstuk funs'kd : Mk- 'kf'k ckyk] QSyks)

2- fMftVy [kkbZ dks de djus ds fy, vkbZlhVh vfuok;Zrk,% ySafxd ifjisz{;

mn~ns';%

- उन सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक बाधाओं का अध्ययन करना जो यौन उत्पीड़न को समझना जो आईसीटी उद्योग में महिला कर्मचारियों के प्रवेश में बाधक हैं।
- महिलाओं के विकास के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा करना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार अथवा व्यावसायिक अवसर प्रदान करने में आईसीटी की भागीदारी का आकलन करना।
- आईसीटी उद्योग में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं यथा कार्य, जीवन संतुलन का प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रभाव, रात की पाली में काम करना आदि का विश्लेषण करना।
- आईसीटी नीतियों या कार्यनीतियों के लिए सुझाव देना, यह भारत के विकास में लिंग को मुख्यधारा में लाने में सहायक होगा।

v/;;u dk ’k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को 15 जुलाई 2016 को शुरु किया गया था, तथा इसका क्षेत्रीय कार्य प्रगति पर है।

(ifj;kstuk fun’kd : Mk- 'kf’k ckyk] Qyk)

3- iokÙkj Hkkjr e efgyk dkexkjk d vofrfud dk;l ,o le; mi;kx iVu f=ijk d fo’k"k lnHk e

mnn’;

- पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल की जांच करना।
- त्रिपुरा में महिलाओं के रोजगर की गतिकी को समझना।
- शिक्षा एवं श्रम बल प्रतिभागिता के बीच संबंधों का पता लगाना।
- सवेतन रोजगार में महिलाओं की भागीदारी में बाधक कारकों का विश्लेषण करना।
- श्रम के घरेलू विभाजन के संदर्भ में महिलाओं के अवैतनिक कार्य को समझना जिससे सांस्कृतिक प्रथाओं, सामाजिक मानदंडों जाति संबद्धता, जातीय पहचान आदि की भूमिका का पता लगाया जा सके।
- रोजगार गारंटी योजनाओं जैसे मौजूदा सामाजिक संरक्षण प्रावधानों तक महिलाओं की पहुंच की जांच करना तथा महिलाओं के जीवन पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करना।
- महिलाओं के रोजगार एवं कल्याण के लिए उपयुक्त नीतियों पर चितंन करना।

v/;;u dk ’k# ,o ijk dju dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु किया गया था, तथा वर्तमान में डाटा प्रविष्टि एवं विश्लेषण के कार्य प्रगति पर हैं।

¼ifj;kstuk fun’kd : Mk- ,yhuk lkerjk;] ,lkfl,V Qyk)

4- ?kjy dkexkj jkstxkj lca/k rFkk U;ure oru fu/kkj.k dh tfVyrk

mnn’;

- अंशकालिक एवं पूर्णकालिक रोजगार में लगे घरेलू कामगारों की रोजगार की शर्तें एवं काम की दशाएं (घरेलू रोतगार में व्यापक अर्थ रोजगार संबंध)
- ऐसे कामगारों की लामबंदी और भेद्‌यता की सीमा (ऐसे कामगारों की पहचान भी)
- घरेलू कामगारों के लैंगिक आयाम

- मुआवजे के तरीके (न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में समस्याएं)
- न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण तथा फलस्वरूप घर को कार्यस्थल एवं घर के मालिक को नियोक्ता मानने की समस्या
- घरेलू कामगारों के कल्याण बोर्ड की व्यवहार्यता

vuqla/kku v/;;u ds lEHkkfor ifj.kke%

- दो शहरों में घरेलू कामगारों की कार्य एवं जीवन दशाओं की जांच करना।
- समानताओं एवं विविधताओं की व्याख्या करना।
- ऐसे आधार का निर्माण करना जिससे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा सके।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को जनवरी 2017 में शुरु किया गया था, तथा इसे जुलाई 2017 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd : MkW- fdadx'kqd ljdkj] QSyks½

iwoksZŸkj dsUæ

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2011–12)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर भी प्रवास एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतः प्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुखी अनुसंधान करने, कार्यशालायें/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर केंद्र (सीएनई) की स्थापना की।

dsUæ ds izeq[k vuqla/kku fo"k;%

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं रोजगार
- प्रवास एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल–अंतर अध्ययन

- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

dsUnz ds çeq[k çf'k{k.k fo"k;

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रतिनिधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालय के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं:

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों की मौलिकता
- महिला कामगारों से संबंधित श्रम मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

tkjh ifj;kstuk,a

1- iwoksZÙkj Hkkjr esa Je cktkj ,oa lkekftd lqj{k.k

mn~ns';

इस अध्ययन का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में श्रम बाजार की प्रवत्तियों की जांच करना तथा पूर्वोत्तर भारत के सभी आठ राज्यों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक संरक्षण योजनाओं को भी उजागर करना है।

dk;Zç.kkyh

यह अध्ययन साहित्य, दस्तावेजों, सर्वेक्षणों तथा संबद्ध रिपोर्टों की समीक्षा पर आधारित है।

v/;;u dk 'kq# ,oa iwjk djus dh frfFk

अध्ययन को अगस्त 2016 में शुरु किया गया, तथा इसे जुलाई 2017 तक पूरा किया जाना है।

¼ifj;kstuk funs'kd: Mk- vkrkthr {kf=e;qe] ,lksfl,V Qsyks½

vUrjk"Vªh; usVoÉdx dkn

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय संस्थान ऐसे मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ प्रोफेशनल सहयोग स्थापित करने के प्रति समर्पित है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने विभिन्न अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ करने के लिए पिछले कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान (आईआईएलएस) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये हैं। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में संस्थान ने कुछ नई पहलें की हैं, जिनसे न केवल आईएलओ, यूएनडीपी और यूनिसेफ जैसे संगठनों के साथ सहयोग को बल मिला है बल्कि जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी), ट्यूरिन, श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान, यूएन वीमेन, आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी तथा सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी जैसे संस्थानों के साथ नए एवं दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण हुआ है। सहयोग के प्रमुख विषयों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास, श्रम इतिहास, उत्तम कार्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की आईटीईसी/एससीएएपी स्कीम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। वर्ष 2015–16 के दौरान संस्थान ने श्रम में लिंगीय मुद्दे, नेतृत्व विकास, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रम एवं रोजगार संबंध, विकास एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा जैसे मुख्य प्रतिपाद्य विषयों पर सात अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन के मध्य व्यावसायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस एमओयू का उद्देश्य सभी के लिए उत्तम कार्य के संवर्धन के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों में सहयोग बढ़ाना है। दोनों संस्थान अन्य बातों के साथ (i) सहयोगात्मक प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, (ii) प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने, और (iii) फैकल्टी की अदला–बदली से संबंधित परस्पर सरोकार के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। ऐसे सहयोग से कार्य की दुनिया में हो रहे रूपांतरणों की चुनौतियों का सामना करने में दोनों संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन होने की आशा है।

आईटीसी–वीवीजीएनएलआई सहयोग के एक भाग के तौर पर अफगानिस्तान के सामाजिक भागीदारों के लिए एम्पलॉयमेंट पॉलिसीज़: मूविंग फ्रॉम फ्रैगिलिटी टु रेजिलिएंस पर एक एक–वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। फरवरी 2017 से अक्टूबर 2017 तक श्रम और रोजगार के प्रमुख विषयों पर आठ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संस्थान ने रॉयल भूटान सरकार और श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर निम्नलिखित दो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये:

- ✓ रॉयल भूटान सरकार के श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए 'श्रम प्रशासन एवं रोजगार प्रबंधन' पर एक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- ✓ श्रीलंका सरकार के श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए 'वैश्वीकरण, बदलते रोजगार संबंध एवं श्रम प्रशासन' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

संस्थान अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ खासकर सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियां करने, फैकल्टी की अदला–बदली कार्यक्रम बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करने के संबंध में अधिक दीर्घकालिक सहयोग बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

çf'k{k.k vkj f'k{kk ¼2016&17½

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन को भावी साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति के परिवर्तन, कुशलता के विकास तथा ज्ञान की दृष्टि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैं:

- केद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित/संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2016–17 के दौरान संस्थान ने 126 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 3811 कार्मिकों ने भाग लिया।

Je ç'kklu dk;Øe

इन कार्यक्रमों को केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन,

अर्धन्यायिक कार्य, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 09 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 207 सहभागियों ने भाग लिया।

vk|kfxd lc/k dk;Øe

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार-विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 10 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 289 सहभागियों ने भाग लिया।

{kerk fuek.k dk;Øe

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के संगठनकर्ताओं और श्रमिकों के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 44 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1396 सहभागियों ने भाग लिया।

cky Je dk;Øe

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। ऐसे 08 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 327 सहभागियों ने भाग लिया।

vUrjk"Vh; çf'k{k.k dk;Øe

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने आई.टी.ई.सी./एस.सी.ए.ए.पी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विषयों जैसे कि लिंगीय मुद्दे, श्रम प्रशासन एवं रोजगार संबंध, नेतृत्व विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा पर 07 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें कुल मिलाकर 182 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

Je vkj LokLF; dk;Øe

इन कार्यक्रमों को विभिन्न लक्ष्य समूहों, जैसे कि श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों को कामगारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर वैश्वीकरण तथा

श्रम बाजार परिवर्तनों के निहितार्थों को समझने हेतु संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 23 सहभागियों ने भाग लिया।

iokŸkj jkT;k d fy, çf'k{k.k dk;Øe

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य पणधारियों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपरोक्त विषयों पर 15 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 418 कार्मिकों ने भाग लिया।

vul/kku fof/k dk;Øe

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ-साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 08 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 190 सहभागियों ने भाग लिया।

lg;kxkRed çf'k{k.k dk;Øe

संस्थान ने समान उद्देश्य वाले संस्थानों तथा राज्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान मुबंई, तमिलनाडु श्रम अध्ययन संस्थान चेन्नई, एनसीडीएस भुवनेश्वर, महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात, राज्य श्रम संस्थान, पश्चिम बंगाल, एसएलआई ओडिशा के सहयोग से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और आजीविका, श्रम अध्ययनों में अनुसंधान विधियां, श्रमिक मुद्दों, बाल श्रमिकों को मुक्त करना एवं उनका पुनर्वास आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 07 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 326 सहभागियों ने भाग लिया।

vkUrfjd dk;Øe

संस्थान ने विभिन्न आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने ऑयल इंडिया लिमिटेड असम, मुख्य श्रमायुक्त का कार्यालय (केंद्रीय), नेवल आर्मामेंट डिपो विशाखापत्तनम, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कुल मिलाकर 13 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। कुल मिलाकर 326 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की।

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuk dh l[;k	çfrHkkfx;k dh l[;k	ikB;Øe fun'kd
Je ç'kklu dk;Øe ¼,y,ih½				
1.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन 23 – 27 मई 2016	05	13	किंगशुक सरकार
2.	कानूनों के प्रवर्तन में महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, 30 मई – 03 जून 2016	05	12	शशि बाला
3.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी–भूमिका और कार्य 27 – 30 जूद 2016	04	23	संजय उपाध्याय
4.	श्रम बाजार विश्लेषण 04 – 08 जुलाई 2016	05	18	एस. के. शशिकुमार
5.	गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की दिशा में: चुनौतियां एवं विकल्प, 16–19 अगस्त 2016	04	26	एस. के. शशिकुमार
6.	वैश्वीकरण, बदलते रोजगार संबंध और श्रम प्रशासन 29 अगस्त – 01 सितम्बर 2016	04	15	किंगशुक सरकार
7.	सीएलएस अधिकारियों के लिए ट्रेड यूनियन सत्यापन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 05 दिसम्बर 2016	01	40	किंगशुक सरकार
8.	सीएलएस अधिकारियों के लिए ट्रेड यूनियन सत्यापन 06 दिसम्बर 2016	01	45	किंगशुक सरकार
9.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन	05	15	संजय उपाध्याय
vk|kfxd lc/k dk;Øe ¼vkbZvkjih½				
10.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 11 – 16 अप्रैल 2016	06	53	पूनम एस. चौहान
11.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 06 – 11 जून 2016	06	13	पूनम एस. चौहान
12.	प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहारवादी कौशल, 20 – 24 जून 2016	05	12	पूनम एस. चौहान

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
13.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 13 – 17 जून 2016	05	17	किंगशुक सरकार
14.	कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम 01 – 05 अगस्त 2016	05	13	शशि बाला
15.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 08 – 13 अगस्त 2016	06	56	पूनम एस. चौहान
16.	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः व्यवहारवादी दृष्टिकोण, 05 – 09 सितम्बर 2016	05	12	पूनम एस. चौहान
17.	ट्रेड यूनियन नेताओं को सशक्त बनाना 05 – 10 दिसम्बर 2016	06	34	पूनम एस. चौहान
18.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक व्यवहार विकसित करना, 16 – 20 जनवरी 2017	05	32	पूनम एस. चौहान
19.	श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व 06 – 10 फरवरी 2017	05	47	संजय उपाध्याय
{kerk fuekZ.k dk;Øe ¼lhchih½				
20.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 04 – 08 अप्रैल 2016	05	58	एलीना सामंतराय
21.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 18 – 22 अप्रैल 2016	05	18	पूनम एस. चौहान
22.	परिवहन सैक्टर के ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशलों को बढ़ाना, 25 – 29 अप्रैल 2016	05	25	पूनम एस. चौहान
23.	नेतृत्व विकास कार्यक्रमः मीडिया सैक्टर 18 – 22 अप्रैल 2016	05	19	पी. अमिताभ खुंटिआ
24.	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, 04 – 08 अप्रैल 2016	05	28	पूनम एस. चौहान
25.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना, 09 – 13 मई 2016	05	18	शशि बाला

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
26.	भारत मे कार्य का भविष्य एवं युवा व्यक्तियों की आकांक्षाएं, श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं आईएलओ के सहयोग से, 10 मई 2016	01	110	एस. के. शशिकुमार
27.	श्रम में लिंगीय मुद्दे 09 – 13 मई 2016	05	29	एलीना सामंतराय
28.	बीड़ी कामगारों के नेतृत्व कौशलों को सुदृढ़ करना, 16 – 20 मई 2016	05	18	पूनम एस. चौहान
29.	प्रवासन तथा विकासः मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य 02 – 05 मई 2016	04	17	एस. के. शशिकुमार
30.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 06 – 10 जून 2016	05	19	पी. अमिताभ खुंटिआ
31.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियां विकसित करना, 27 – 30 जून 2016	04	27	शशि बाला
32.	लिंग, गरीबी और रोजगार 13 – 17 जून 2016	05	35	शशि बाला
33.	असंगठित सैक्टर के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, 04 – 08 जुलाई 2016	05	34	रूमा घोष
34.	पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका प्रबंधन एवं सामाजिक संरक्षण, 11 – 15 जुलाई 2016	05	21	पी. अमिताभ खुंटिआ
35.	बागान कामगारों के नेतृत्व कौशल विकसित करना, 11–15 जुलाई 2016	05	05	किंगशुक सरकार
36.	घरेलू कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 18 – 22 जुलाई 2016	05	36	शशि बाला
37.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 25 – 29 जुलाई 2016	05	32	पूनम एस. चौहान
38.	ग्रामीण ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 01 – 05 अगस्त 2016	05	43	संजय उपाध्याय

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
39.	परिवहन कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 22 – 26 अगस्त 2016	05	27	पूनम एस चौहान
40.	मत्स्यपालन कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 29 अगस्त – 02 सितम्बर 2016	05	51	पूनम एस. चौहान
41.	श्रम, उत्पादकता एवं आजीविका: बागान सैक्टर, 22 – 26 अगस्त 2016	05	20	किंगशुक सरकार
42.	महिलाओं के कल्याण के मुद्दे 05 – 09 सितम्बर 2016	05	40	शशि बाला
43.	लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 19 – 23 सितम्बर 2016	05	34	शशि बाला
44.	सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा 26 – 30 सितम्बर 2016	05	32	रूमा घोष
45.	श्रम बाजार और रोजगार नीतियां 12 – 16 सितम्बर 2016	05	20	किंगशुक सरकार
46.	लिंग और सामाजिक सुरक्षा 03 – 07 अक्टूबर 2016	05	26	शशि बाला
47.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 – 28 अक्टूबर 2016	05	11	शशि बाला
48.	केंद्रीय महिला ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशल विकसति करना, 17 –21 अक्टूबर 2016	05	12	धन्या एम. बी.
49.	युवा नियोजनीयता एवं उद्यमिता के लिए कौशल विकास, 17 –21 अक्टूबर 2016	05	37	पी. अमिताभ खुंटिआ
50.	श्रम में लैंगिक मुद्दे (एनएसएसटीए) 03 नवम्बर 2016	01	15	रूमा घोष धन्या एम. बी.

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
51.	प्रौद्योगिकी एवं कार्य का भविष्य, श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं आईएलओ के सहयोग से 29 नवम्बर 2016	01	100	एस. के. शशिकुमार
52.	निर्माण उद्योग में उत्तम कार्य को बढ़ावा देना 26 – 30 दिसम्बर 2016	05	34	पी. अमिताभ खुंटिआ
53.	इंटक के नेताओं / पश्चिम बंगाल के कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 19 – 23 दिसम्बर 2016	05	35	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
54.	एमआईएलएस के प्रतिनिधियों के लिए श्रमिक मुद्दे और सामाजिक सुरक्षा, 05 दिसम्बर 2016	01	18	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
55.	भारती विद्यापीठ, पुणे के समाज विज्ञान विभाग के एमएसडब्ल्यु के छात्रों के लिए श्रमिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम, 16 दिसम्बर 2016	01	11	किंगशुक सरकार
56.	विमुद्रीकरण: श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कार्यनीतियां, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से, 16 दिसम्बर 2016	01	55	एस. के. शशिकुमार
57.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 09 – 13 जनवरी 2017	05	50	पूनम एस. चौहान
58.	ग्रामीण महिला संगठनकर्ताओं को सशक्त बनाना, 09 – 13 जनवरी 2017	05	27	एलीना सामंतराय
59.	कौशल विकास और रोजगार सृजन 30 जनवरी – 03 फरवरी 2017	05	13	अनुप सतपथी
60.	लिंगीय मुद्दे और जेंडर बजटिंग 03 – 06 जनवरी 2017	05	30	शशि बाला
61.	तेलंगाना राज्य के ट्रेड यूनियन नेताओं के नेतृत्व कौशल बढ़ाना, 30 जनवरी – 03 फरवरी 2017	05	40	पूनम एस. चौहान

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
62.	मजूदरी नीतियां, आईएलओ के सहयोग से 31 जनवरी 2017	01	40	एस. के. शशिकुमार
63.	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा 13 – 17 फरवरी 2017	05	26	धन्या एम. बी.
vuqla/kku i)fr dk;Øe ¼vkj,eih½				
64.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां 25 अप्रैल – 06 मई 2016	12	26	पी. अमिताभ खुंटिआ
65.	श्रम अनुसंधान में पद्धतियां एवं दृष्टिकोण 20 जून – 01 जुलाई 2016	12	28	किंगशुक सरकार
66.	श्रम आर्थिकी का परिचय 29 अगस्त – 02 सितम्बर 2016	05	09	शशि बाला
67.	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियां 19 – 30 सितम्बर 2016	12	34	एलीना सामंतराय
68.	श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र 01–11 नवम्बर 2016	11	17	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
69.	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियां 19 – 30 दिसम्बर 2016	12	18	रूमा घोष
70.	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियां 13 – 24 फरवरी 2017	12	32	किंगशुक सरकार
71.	लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अनुसंधान पद्धतियां, 27 फरवरी – 10 मार्च 2017	12	26	धन्या एम. बी.
varjk"Vªh; çf'k{k.k dk;Øe ¼vkbZVhih½				
72.	कौशल विकास एवं रोजगार सृजन 08 – 26 अगस्त 2016	19	19	पी. अमिताभ खुंटिआ
73.	श्रम प्रशासन और रोजगार प्रबंधन, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के अधिकारियों के लिए, 17 – 26 अगस्त 2016	10	20	रूमा घोष
74.	विकास एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन, 05 – 23 सितम्बर 2016	19	20	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
75.	नेतृत्व कौशल को बढ़ाना 03 – 21 अक्टूबर 2016	19	32	पूनम एस. चौहान
76.	एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रम और रोजगार संबंध, 07–25 नवम्बर 2016	19	25	एस. के. शशिकुमार
77.	वैश्वीकरण, बदलते रोजगार संबंध और श्रम प्रशासन, श्रीलंका के अधिकारियों के लिए 21 – 25 नवम्बर 2016	05	13	रूमा घोष
78.	कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दे 05 – 23 दिसम्बर 2016	19	30	शशि बाला
79.	बिल्डिंग ब्रिज़ेजः भारत में महिला शिल्पकारों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 18 – 19 जनवरी 2017	02	52	एलीना सामंतराय
80.	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां 06 – 24 फरवरी 2017	19	26	एस. के. शशिकुमार
81.	वैश्विक श्रम इतिहास नेटवर्क पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 03 – 04 मार्च 2017	02	42	एस. के. शशिकुमार
82.	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कार्यों का संरक्षण 06 – 24 मार्च 2017	19	30	रूमा घोष
स्वास्थ्य मुद्दे पर कार्यक्रम (एलआईपी)				
83.	व्यावसायिक संरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण का संवर्धन 13 – 17 जून 2016	05	23	रूमा घोष
बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)				
84.	आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम समाप्त करने पर तकनीकी परामर्शः अनुभव साझा करना 29 जून 2016	01	45	हेलन आर. सेकर
85.	एनसीएलपी जिला सोसायटी के परियोजना निदेशकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, 13 जुलाई 2016	01	50	हेलन आर. सेकर

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
86.	एनसीएलपी जिला सोसायटी के परियोजना निदेशकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, 15 जुलाई 2016	01	45	हेलन आर. सेकर
87.	बाल श्रम की स्थितिः रुझानों का मानचित्रण, 02 सितम्बर 2016	01	60	एलीना सामंतराय हेलन आर. सेकर
88.	एनसीएलपी के लिए बाल श्रम कार्यक्रम 28 नवम्बर 2016	01	25	हेलन आर. सेकर
89.	एनसीएलपी के लिए बाल श्रम कार्यक्रम 30 नवम्बर 2016	01	25	हेलन आर. सेकर
90.	एनसीएलपी के लिए बाल श्रम कार्यक्रम 02 दिसम्बर 2016	01	36	हेलन आर. सेकर
91.	एनसीएलपी के लिए बाल श्रम कार्यक्रम 08 दिसम्बर 2016	01	41	हेलन आर. सेकर
vkUrfjd dk;Øe				
92.	एनएडी के आईएनएएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध, 07 – 18 अप्रैल 2016	12	15	पूनम एस. चौहान
93.	आईटीसी ट्यूरिन के सहयोगात्मक प्रशिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 27 – 29 अप्रैल 2016	03	27	एलीना सामंतराय
94.	वैश्वीकरण के बाद के युग में ट्रेड यूनियनों की भूमिका, गंगटोक, 12 – 14 सितम्बर 2016	03	20	पूनम एस. चौहान
95.	सीएलएस अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण, 03 अक्टूबर – 23 दिसमबर 2016	82	24	संजय उपाध्याय
96.	ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहार कौशल 15 – 19 नवम्बर 2016	05	22	पूनम एस. चौहान

Øe la-	dk;Øe dk uke	fnuksa dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB~;Øe funs'kd
97.	ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए प्रभावी नेतृत्व विकास के लिए व्यवहार कौशल 12 – 16 दिसम्बर 2016	05	24	पूनम एस. चौहान
98.	आरबीआई के समूह III कर्मचारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 06 – 10 फरवरी 2017	05	27	पूनम एस. चौहान
99.	आरबीआई के समूह IV कर्मचारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 13–17 फरवरी 2017	05	28	पूनम एस. चौहान
100	आरबीआई के समूह III कर्मचारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 20 – 24 फरवरी 2017	05	28	पूनम एस. चौहान
101	आरबीआई के समूह IV कर्मचारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 27 फरवरी–03 मार्च 2017	05	30	पूनम एस. चौहान
102	आरबीआई के समूह III कर्मचारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 06–10 मार्च 2017	05	30	पूनम एस. चौहान
103	आरबीआई के समूह IV कर्मचारियों के लिए कार्य के प्रभावी ढंग से प्रबंधन हेतु व्यवहार कौशल, 20 – 24 मार्च 2017	05	30	पूनम एस. चौहान
104	सीएलएस अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण, 27 मार्च–05 मई 2017	05	21	किंगशुक सरकार
mŸkj&iwohZ jkT;ksa ds fy, dk;Øe ¼,ubZih½				
105	श्रमिक मुद्दों पर जागरूकता सुदृढ़ीकरण 23 – 27 मई 2016	05	08	एलीना सामंतराय
106	श्रम कानूनों के मूल तत्व 20 – 24 जून 2016	05	14	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

Øe l-	dk;Øe dk uke	fnuks dh la[;k	çfrHkkfx;ksa dh la[;k	ikB;Øe funs'kd
107	उत्तर पूर्वी राज्यों के ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 18 – 22 जुलाई 2016	05	40	पूनम एस. चौहान
108	लिंग, कार्य एवं सामाजिक संरक्षण 08 – 12 अगस्त 2016	05	22	एलीना सामंतराय
109	कौशल विकास और रोजगार सृजन 24 – 28 अक्टूबर 2016	05	34	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
110	श्रम में लैंगिक मुद्दे 28 नवम्बर – 02 दिसम्बर 2016	05	18	शशि बाला
111	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, 28 नवम्बर – 02 दिसम्बर 2016	05	31	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
112	श्रमिक मुद्दों तथा महिला कामगारों से संबंधित कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण, 12 – 16 दिसम्बर 2016	05	16	धन्या एम. बी.
113	ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के लिए श्रम कानूनों के मूल तत्व, 16 – 20 जनवरी 2017	05	24	किंगशुक सरकार
114	श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन, 30 जनवरी – 03 फरवरी 2017	05	12	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
115	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा 23 – 27 जनवरी 2017	05	12	धन्या एम. बी.
116	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा 27 फरवरी – 03 मार्च 2017	05	22	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
117	लिंग और श्रम अध्ययनों पर अनुसांान पद्धतियां, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला के सहयोग से 30 मार्च – 01 अप्रैल 2017	03	38	एलीना सामंतराय
118	बाल श्रम पर जागरूकता सृजन एवं संवेदीकरण कार्यक्रम, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला के सहयोग से, 30 मार्च – 01 अप्रैल 2017	03	67	हेलन आर. सेकर

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
119	श्रम एवं रोजगार मुद्दों पर अभिविन्यास कार्यक्रम, गंगटोक, सिक्किम, 29 अगस्त – 01 सितम्बर 2016	04	60	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीटीपी)				
120	युवा नियोजनीयता एवं उद्यमिता के लिए कौशल विकास, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, 21 – 24 नवम्बर 2016	04	45	पी. अमिताभ खुंटिआ
121	श्रम अध्ययनों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियां: एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य, एमजीएलआई, अहमदाबाद, गुजरात, 26 – 30 दिसम्बर 2016	05	33	शशि बाला
122	विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुशासन, केआईएलई, केरल 09 – 13 जनवरी 2017	05	42	पी. अमिताभ खुंटिआ
123	वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में बदलते औद्योगिक संबंध (एमआईएलएस, मुंबई) 23 – 27 जनवरी 2017	05	39	किंगशुक सरकार
124	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियां (एमआईएलएस, मुंबई) 02 – 06 जनवरी 2017	05	20	रूमा घोष
125	असंगठित सैक्टर के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, (एमआईएलएस, मुंबई) 13–17 फरवरी 2017	04	44	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
126	बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा जम्मू प्रभाग के लिए जिला–विशिष्ट कार्य योजना विकसित करना, 07 –08 मार्च 2017	02	103	हेलन आर. सेकर
		777	3811	

vçSy 2015 ls ekpZ 2016 ds nkSjku vk;ksftr fd, x, ifj'k{k.k dk;ZØe

Øe la-	dk;ZØe dk uke	dk;ZØeksa dh la[;k	dk;ZØe ds fnuksa dh la-	lgHkkfx;ksa dh la[;k
1.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	09	34	207
2.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम(आईआरपी)	10	54	289
3.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	44	190	1396
4.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)	08	08	327
5.	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)	08	88	190
6.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपी)	11	152	309
7.	स्वास्थ्य मुद्दों पर कार्यक्रम (एचआईपी)	01	05	23
8.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	15	70	418
9.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीपी)	07	31	326
10.	आंतरिक कार्यक्रम (इनहाउस)	13	145	326
	tksM+	126	777	3811

,u- vkj- Mh Je lpuk lalk/ku dsUnz

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर.डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने प्रयोगकर्त्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है:

1- Hkkfrd lEink

iLrdsa: अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक पुस्तकालय में 210 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र-पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 65,015 तक पहुंच गई।

i=-if=dk,a: पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान 173 व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया।

2- lsok,a

पुस्तकालय निरंतर रूप से अपने उपभोक्ताओं के लिए निम्न सेवाएं बनाए रखता है:

- सूचना का चयनात्मक प्रचार-प्रसार (एसडीआई)
- वर्तमान जागरूकता सेवा
- ग्रन्थ विज्ञान सेवा

- आन-लाइन सेवा
- पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण
- समाचार पत्रों के लेखों के कतरन
- माइक्रो फिच सर्च और प्रिंटिंग
- रिप्रोग्राफिक सेवा
- सीडी-रोम सर्च
- दृश्यश्रव्य सेवा
- वर्तमान विषय-वस्तु सेवा
- आर्टिकल अलर्ट सेवा
- लेंडिंग सेवा
- इंटर-लाइब्रेरी लोन सेवा

3- mRikn

पुस्तकालय प्रयोगकर्त्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- **vkof/kd lkfgR; dh ekxZn'kZdk:** तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो 175 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- **djsaV tkx:drk cqysfVu:** तिमाही अंत: संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- **vkfVZdy vyVZ lsok** -साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- **orZeku fo"k;-oLrq lsok:** यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय-वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- **vkfVZdy vyVZ:** यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।

4- fof'k"Vhd`r lalk/ku dsanz dk j[kj[kko

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित तीन विशिष्टीकृत संसाधन केद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र
- एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय संसाधन केंद्र

jkt Hkk"kk uhfr dk dk;kZUo;u

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए "हिन्दी सेल" का गठन किया गया।

jkt Hkk"kk dk;kZUo;u lfefr

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 17.05.2016,, 14.09.2016, 21.12.2016 और 24.03.2017 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

fgUnh dk;Z'kkyk

संस्थान ने, अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिन्दी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कीं। कार्यशालाएं 24.06.2016, 02.09.2016, 15.12.2016 और 24.03.2017 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

इसके अतिरिक्त, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए संस्थान द्वारा 23 दिसम्बर 2016 को हिंदी टिप्पण आलेखन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 24 सदस्य कार्यालयों के 57 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

frekgh fjikVZ

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2016, 30 जून 2016, 30 सितम्बर 2016 और 31 दिसम्बर 2016 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

fgUnh i[kokMk

संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा 14 सितम्बर 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख, टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी काव्य पाठ, हिन्दी टंकण अथवा हिन्दी वर्तनी एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता, राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा त्वरित भाषण प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। 30.09.2016 को समापन सत्र को संस्थान के महानिदेशक श्री मनीष कुमार गुप्ता ने संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने पुरस्कार वितरित किए।

çdk'ku

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार-प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, अनियमित प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें निकालता है।

ysCj ,.M MoyiesaV

लेबर एण्ड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

vokMZ~l Mkbtsj~V

अवाड़्र्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

Je fo/kku

श्रम विधान एक तिमाही हिन्दी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

bn/ku"k

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

pkbYM gki

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

Je lxe

श्रम संगम एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

,u-,y-vkb- vu l/kku v/;;u J[kyk

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 126 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2016–17 में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन में निम्न शामिल हैं:

117 / 2016 स्किलिंग इंडियाः बहु–कौशल विकास केंद्रों का मूल्यांकन – *ओतोजीत क्षेत्रिमयूम*

118 / 2016 भारत में श्रम प्रशासन के निष्पादन को बढ़ाना – *किंगशुक सरकार*

119 / 2017 शिक्षा एवं रोजगार में लैंगिक समानताः एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य – *शशि बाला*

120 / 2017 शिक्षा एवं कार्यजगत में अंतरालः एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य – *शशि बाला*

121 / 2017 भारत में औद्योगिक संबंधः केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का एक अध्ययन – *ओतोजीत क्षेत्रिमयूम*

122 / 2017 राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश द्वारा शुरु किये गये श्रम कानूनों में संशोधन एवं अन्य श्रम सुधार पहलः एक विश्लेषणात्मक प्रभाव आकलन – *डॉ. संजय उपाध्याय, पंकज कुमार*

123 / 2017 महिलाओं के कार्य को समझनाः पूर्वोत्तर भारत में घरेलू कामों में महिलाओं की सहभागिता का लैंगिक विश्लेषण – *एलीना सामंतराय*

124 / 2017 पूर्वोत्तर भारत में युवाओं का कौशल विकासः आगे का रास्ता – *प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ*

125 / 2017 ग्लोबल लेबर हिस्ट्रीः 2 ऐस्सेज़ – *प्रो. मार्कल वान डर लिंडेन*

126 / 2017 स्ट्राइक ब्रेकिंग ऑर दि रिफ्यूजल ऑफ सबाल्टरनिटी? इथनिसिटी क्लास एंड जेंडर इन छोटा नागपुर – *दिलीप साइमन*

dkexkj f'k{k.k ,oa l'kfDrdj.k J[kyk

02 / 2016 भारत में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के संकाय सदस्यों के रोजगार, कार्य और सेवा की दशाओं संबंधी मुद्दे और उनके समाधान हेतु सुझाव – *डॉ. संजय उपाध्याय*

Lkkef;d çdk'ku

संस्थान अपने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के आधार पर सामयिक प्रकाशन भी निकालता है।

Hkkjr esa cky Je dh fLFkfr% #>kuksa dk ekufp=.k

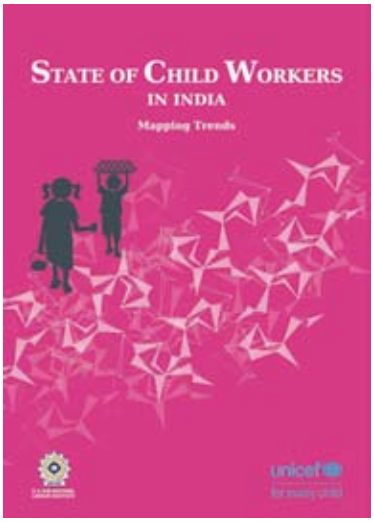

बाल श्रम एक गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण समस्या है, जिसने अनेक नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा कार्यान्वयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर, 2015 के अनुसार 168 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हैं, 15–24 वर्ष आयु–वर्ग के 75 मिलियन युवा बेरोजगार हैं, और अनेकों युवा ऐसे कामों में नियोजित हैं जो उचित आय, कार्यस्थल में सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण तथा अन्य बुनियादी एवं उत्तम कार्य प्रदान करने में विफल रहते हैं। बाल श्रम की मात्रा एवं व्यापकता राज्यों में भिन्न–भिन्न है, कुछ राज्यों में बाल श्रम की व्यापकता अधिक है तो दूसरे राज्यों में यह अपेक्षाकृत कम है। गरीबी, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवासन तथा कम पारिवारिक आय बाल श्रम के बने रहने के कुछ कारण हो सकते हैं। हालांकि भारत में बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए अनेक कानून एवं नीतियां कार्यान्वित की गई हैं, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। अनेक सक्रिय नीतियों, कानूनों एवं योजनाओं, जैसे कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, बच्चों के लिए राष्ट्रीस नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, सर्व शिक्षा अधिनियम (एसएसए) तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना ने बच्चों के स्कूल में नामांकन, मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के सतर पर, के अनुपात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी बच्चों की बढ़ती स्कूली शिक्षा तथा बाल श्रम की घटती व्यापकता के संबंध की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा में विकासात्मक प्रयासों के बावजूद बाल श्रम की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसी संदर्भ में, वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य भारत के ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में राज्य एवं जिला स्तर पर बाल श्रम की मात्रा एवं व्यापकता को उजागर करना है। इसका लक्ष्य जिला–स्तर की जानकारी का एक व्यवस्थित विश्लेषण प्रदान करना है ताकि बाल श्रम की समस्या को समझने के लिए एक सूक्ष्म तस्वीर विकसित की जा सके। भारत में बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों, बाल श्रम के बने रहने के मुख्य कारणों एवं इसके परिणामों की पहचान करना, तथा इस समस्या के बारे मं जागरूकता का सृजन करना भी इस अध्ययन के लक्ष्य हैं। इसमें उन बालिकाओं पर फोकस किया गया है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है तथा सवेतन अथवा अवैतनिक कामों के द्वारा पारिवारिक जिम्मेदारियों में सहयोग कर रही हैं। अंततः, इस अध्ययन में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कुछ नीतिगत सिफारिशें प्रदान करने की कोशिश की गयी है।

Hkkjrh; Je ifLrdk ¼rsyqx ,o xqtjkrh lLdj.k½

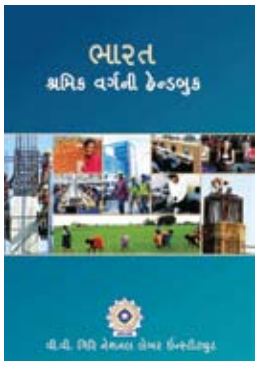

श्रम के संबंध देश अनेक एवं विविध प्रश्नों का सामना कर रहा है जिनका विस्तार रोजगार एवं बेरोजगारी के बारे में सरोकारों से लेकर कामगारों की सामाजिक सुरक्षा एवं बाल श्रम के उन्मूलन तक है। भारतीय श्रम मुद्दों की व्यापकता और विस्तार को देखते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि इन मुद्दों का हल खोजने की प्रक्रिया में सामाजिक साझेदारों को शामिल किया जाए। हितधारकों की रचनात्मक सहभागिता तभी संभव है, जब श्रम से संबंधित सूचना एवं विचारों को सुलभ बनाया जाए।

इसी परिप्रेक्ष्य में, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें भारत में श्रम के परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसका आशय यह है कि सुसंगत सूचनाएं एक सरल और बोधगम्य तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे इन्हें समाज के व्यापक तबके तक पहुंचयोग्य बनाया जा सके।

इस पुस्तिका के विभिन्न लेख निम्न प्रकार हैं:

- भारत का श्रम एवं नियोजन परिदृश्य: एक पर्यावलोकन, डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई
- भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मकारों के लिए श्रम कानून, डॉ. संजय उपाध्याय, फेलो, वीवीजीएनएलआई
- सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण श्रमिक, डॉ. पूनम एस. चौहान, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई
- भारत में सुकुमार अवस्था में रोज़गार में बच्चों के प्रवेश को रोकना और बाल श्रम समाप्त करना, डॉ. हेलन आर. सेकर, वरिष्ठ फेलो, वीवीजीएनएलआई
- अनौपचारिक नियोजन में स्वास्थ्य संबंधी असुरक्षा और कर्मकारों का संरक्षण, डॉ. रूमा घोष, फेलो, वीवीजीएनएलआई
- श्रम में लैंगिक मुद्दे, डॉ. शशि बाला, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. एलीना सामंतराय, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई

अधिक जानकारी एवं विवरण के लिए कृपया संपर्क करें:

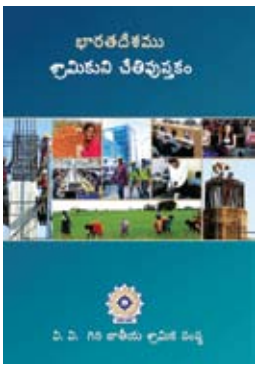

çdk'ku ¼çHkkjh½
oh- oh- fefj jk"Vh; Je lLFkku
सैक्टर–24, नौएडा–201301 (उ0 प्र0)
ई–मेल: publications.vvgnli@gov.in

lLFkku d b&xoul ,o fMftVy
volajpuk dk mUu;u

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) तथा डिजिटल इंडिया की अवसंरचना को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के साथ समन्वय में संस्थान ने वित्त वर्ष 2016–17 में अपने ई–गवर्नेंस तथा डिजिटल अवसंरचना का अगले स्तर तक उन्नयन करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इस संबंध में उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

1. **fuduV ¼,uvkblh,ubVh½ lok l tMuk½** संस्थान सभी स्थानों पर चौबीसों घंटे इंटरनेट संयोजकता (कनेक्टिविटी) उपलब्ध कराने और अपने कर्मचारियों को ई–ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए उच्च गति वाली निकनेट सेवाओं (राष्ट्रीय उपग्रह–आधारित कंप्युटर नेटवर्क) से जुड़ गया है। इसके लिए पूर्व–आवश्यकता के रूप में संस्थान ने प्रशिक्षण खंड, छात्रावास और पुस्तकालय सहित सभी खंडों में लैन (स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क) कनेक्टिविटी का विस्तार किया।

2. **b&vkfQl ç.kkyh dk lpkyu½** कार्यकारी कुशलता में सुधार तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (mole.eoffice.gov.in) से प्रेरणा लेकर 16 दिसम्बर 2016 से ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरु करके 'कम कागज प्रयोगकर्ता कार्यालय' बनने की ओर उन्मुख हुआ। ई–ऑफिस एप्लीकेशन के अनावरण के बाद संस्थान मंत्रालय का ऐसा पहला अधीनस्थ कार्यालय बन गया है जिसने अपने कर्मचारियों से ज्यादा प्रतिरोध का सामना किए बिना एक रिकॉर्ड समय में फाईलों के भौतिक संचलन की पुरानी प्रणाली की जगह इलैक्ट्रोनिक फाईल तथा रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह अपना लिया है। इलैक्ट्रोनिक फाईल प्रणाली ने फाईलों को इलैक्ट्रोनिक तरीके से भेजने एवं उनका पता लगाने तथा डाटा को अभिलेखित करने एवं पुनर्प्राप्ति करने में संस्थान के कर्मचारियों को सक्षम बनाया। इलैक्ट्रोनिक फाईलों में टिप्पण एवं मसौदे हस्ताक्षरित करने हेतु संस्थान के कर्मचारियों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) भी प्रदान किये गये हैं। ई–ऑफिस चलाने तथा आधिकारिक संचार प्रयोजनों के लिए संस्थान के सभी कर्मचारियों का भारत सरकार (जीओआई) के ई–मेल पते भी उपलब्ध कराये गये हैं।

   इलैक्ट्रोनिक फाईल संचलन प्रणाली के अतिरिक्त, संस्थान ने छुट्टी (ई–लीव) तथा यात्रा (ई–टूर) कार्यक्रमों के आवेदन एवं अनुमोदन को भी स्वचालित कर दिया है। हाल ही में, संस्थान ने ई–ऑफिस प्रणाली के तहत डाक के इलैक्ट्रोनिक प्रबंधन एवं ई–मेल को डायरीकृत करने के लिए भी स्वचालित केंद्रीय रजिस्ट्री यूनिट (सीआरयू) को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। संस्थान के कर्मचारियों को ई–ऑफिस प्रणाली का उपयोग करने में दक्ष बनाने के लिए

एनआईसी ई–सपोर्ट टीम द्वारा कई बार प्रशिक्षण दिया गया था। दूसरे चरण में ई–सर्विस बुक मॉड्यूल के साथ ई–ऑफिस प्रणाली के तहत ही स्पैरो प्रोडक्ट सूट के माध्यम से वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत एवं संसाधित शुरु करने के लिए कार्य काफी तेजी से चल रहे हैं। चूंकि संस्थान ई–ऑफिस एप्लीकेशन का प्रयोग मंत्रालय के अनुरोध पर कर रहा है, वर्तमान में ई–सर्विस बुक एवं स्पैरो प्रोडक्ट सूट शुरु करने के लिए मंत्रालय की अनुमति की प्रतीक्षा है।

3. **ubZ osclkbV dk 'kqHkkjaHk%** संस्थान ने एक वर्ष तक वेबसाइट का डिजाइन बनाने एवं उसे विकसित करने के बाद 27 अप्रैल 2017 को नई द्विभाषी वेबसाइट http://www.vvgnli.gov.in/ का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट विशिष्ट है, इसमें कई नई सुविधाएं हैं और यह उपयोगकर्ताओं के बेहद अनुकूल है। इस वेबसाइट में संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अंतनिर्हित ऑनलाइन आवेदन एवं फीडबैक प्रणाली भी है तथा इसमें यह भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए लिंक भी उपलब्ध है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार यह वेबसाइट तीसरे पक्ष द्वारा सुरक्षा लेखा–परीक्षित है और अभी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा अधिदेशित एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। वेबसाइट राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एनआईसी) के राष्ट्रीय डाटा सेंटर में क्लाउड में होस्ट की गयी है।

4. **ifjlj esa okbZ&QkbZ ,oa fuxjkuh ç.kkyh yxkuk%** राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, अतिथि विद्वानों एवं स्टाफ को परिसर में चौबीसों घंटे व्यापक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा परिसर के अंदर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थान वर्तमान में 1.40 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर एक वाई–फाई एवं निगरानी परियोजना को लागू कर रहा है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन), वायरलेस लैन, एडेप्टर, नेटवर्क केंद्र एवं निगरानी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं।

depkfj;ksa dh l[;k

¼31-03-2017 dks½

Leg	Lohd`r l[;k	inLFk
महानिदेशक	1	1
संकाय सदस्य	15	12
समूह क	5	2
समूह ख	8	4
समूह ग	31	15
समूह घ	25	19
;ksx	**85**	**53**

QdYVh

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

lLFkku dh QdYVh

	मनीष कुमार गुप्ता, एम. टेक, आई.ए.एस.	महानिदेशक
1.	एस. के. शशिकुमार, एम.ए. पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
2.	पूनम एस. चौहान, एम.ए., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
3.	हेलन आर. सेकर, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	वरिष्ठ फेलो
4.	संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी	फेलो
5.	रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	फेलो
6.	अनूप के. सतपथी, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
7.	शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	फेलो
8.	किंगशुक सरकार, एम.ए., पीएच.डी.	फेलो
9.	प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
10.	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
11.	एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो
12.	एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी	एसोसिएट फेलो

vf/kdkjh

1.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए. (वित्त), एआईसीडब्ल्यूए	प्रशासन अधिकारी
2.	वी. के. शर्मा	सहायक प्रशासन अधिकारी
3.	एस. के. वर्मा, एम.एससी., एम.एल.आई.एससी.	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी

LVkQ

कैलाश सी. बुड़ाकोटी	पर्यवेक्षक
मदन लाल	व. वै. सहायक
बी. एस. रावत	व. हिंदी अनुवादक
मोनिका गुप्ता	आशुलिपिक ग्रेड – I
पिंकी कालड़ा	आशुलिपिक ग्रेड – I
सुधा वोहरा	आशुलिपिक ग्रेड – I
गीता अरोड़ा	आशुलिपिक ग्रेड – I
सुधा गणेश	आशुलिपिक ग्रेड – I
ए. के. श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड – I
एस. पी. तिवाड़ी	सहायक ग्रेड – I
राजेश कुमार कर्ण	आशुलिपिक ग्रेड – II
वलसम्मा बी. नायर	आशुलिपिक ग्रेड – II
राम किशन	आशुलिपिक ग्रेड – II
सुरेन्द्र कुमार	सहायक ग्रेड – II
विजय कुमार	सहायक ग्रेड – II
जे. पी. शर्मा	सहायक ग्रेड – II
नरेश कुमार	सहायक ग्रेड – II
रंजना भारद्वाज	सहायक ग्रेड – II

ys[kk ijh{kk fjiksVZ
vkSj
ys[kkijhf{kr okf"kZd ys[kk
2016&2017

31 ekpZ 2017 dks lekIr o"kZ ds fy, oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk ds ys[kksa ds lca/k esa Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh i`Fkd ys[kkijh{kk fjiksVZ ds lca/k esa oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku dk tokc

Øe l[;k	ys[kkijh{kk isjk	lLFkku dk tokc
¼d½	çkfIr ,oa Hkqxrku ys[kk	
	₹ 0.51 लाख के कालातीत चेकों को निरस्त नहीं किया गया था तथा इन्हें वापस खाते में लिख दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्राप्ति खाते एवं अंत शेष में ₹ 0.51 की न्यूनोक्ति दर्ज की गयी।	₹ 0.51 लाख के कालातीत चेकों को निरस्त कर दिया गया था तथा इन्हें अप्रैल 2017 में वापस खाते में लिख दिया गया था। तथापि भविष्य में अनुपालन के लिए इसे नोट कर लिया गया है।
¼[k½	lgk;rk vuqnku	
	संस्थान ने वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 19.32 करोड़ (₹11.00 करोड़ योजनागत एवं ₹4.25 करोड़ गैर–योजनागत) का सहायता अनुदान प्राप्त किया और आंतरिक स्रोतों से ₹ 4.07 करोड की आय अर्जित की। इसमें ₹1.20 करोड़ (योजनागत) का अधिशेष मिलाने पर कुल राशि ₹ 20.52 करोड़ (₹12.20 करोड़ योजनागत, ₹4.25 करोड़ गैर–योजनागत एवं ₹4.07 करोड आंतरिक स्रोतों से अर्जित आय) हुई। संस्थान ने 31 मार्च 2017 तक ₹17.99 करोड़ (₹10.53 करोड़ योजनागत, ₹4.25 करोड़ गैर–योजनागत एवं ₹3.21 करोड़ आंतरिक स्रोतों से अर्जित आय) का उपयोग किया तथा ₹2.53 करोड़ (₹1.67 करोड़ योजनागत और ₹0.86 करोड आंतरिक स्रोतों से अर्जित आय) का अंत शेष रहा।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

यह अनुरोध किया जाता है कि हमारे उपरोक्त स्पष्टीकरण को देखते हुए इन आपत्तियों को छोड़ दिया जाए क्योंकि इसमें किसी प्रकार से निधियों का दुर्विनियोजन नहीं हुआ है।

Øe la-	fVIi.kh	Tkokc
1.	vkrfjd y[kkijh{kk ç.kkyh dh i;kIrrk संस्थान में आंतरिक लेखापरीक्षा मैन्युअल है किंतु आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध स्थापित नहीं किया गया है। हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा की गयी।	संस्थान में हर वित्तीय लेन–देन की जाँच करने के लिए विस्तृत जाँच प्रणाली है। इसमें लेखा अनुभाग, जिसके प्रमुख लेखा अधिकारी हैं, आहरण एवं संवितरण अधिकारी और महानिदेशक शामिल हैं। स्वतंत्र लेखापरीक्षा मैसर्स के. के. चनानी एंड एसोसिएट्सए सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
2.	vkrfjd fu;=.k ç.kkyh dh i;kIrrk संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं: • संस्थान द्वारा श्रेणीकरण सूची नहीं बनायी गयी है। • पुस्तकालय परिग्रहण एवं निर्गम रजिस्टर नहीं बनाया गया है। • महत्वपूर्ण पदों पर नियमित स्टाफ की कमी (85 संस्वीकृत पदों में से केवल 53 पद भरे हुए तथा शेष 32 पद रिक्त हैं)।	• संस्थान द्वारा श्रेणीकरण सूची तैयार की जाती है और इसे वर्ष 2016–17 से वार्षिक रिपोर्ट में रखा जा रहा है। • पुस्तकालय परिग्रहण एवं निर्गम रजिस्टर भौतिक प्रारूप में तैयार किया जाता है। • इस मामले को मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है क्योंकि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कुछ पद कालातीत हो गये हैं तथा उनका पुनः प्रवर्तन प्रक्रियारत है। तदनुसार, रिक्त पदों को निमयानुसार भरा जाएगा। इसलिए इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
3.	vpy ifjlifÙk;ks dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh अचल परिसंपत्तियों का वर्ष 2016–17 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
4.	oLrq&lwph dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh वस्तु–सूची का वर्ष 2016–17 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
5.	lkfof/kd n;rkvksa dk Hkqxrku esa fu;ferrk संस्थान सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान करता है तथा खातों के अनुसार 31 मार्च 2017 तक कोई भी बकाया 6 माह की अवधि से अधिक समय तक देय नहीं था।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

31 ekpZ 2017 dks lekIr o"kZ dh fy, oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je lLFkku] uks,Mk dh y[kkvksa ij Hkkjr ds fu;a=d ,oa egky[kk ijh{kd dh iFkd y[kkijh{kk fjikVZ

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को यथास्थिति, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के संलग्न तुलन-पत्र, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की है। यह लेखापरीक्षा 2017–18 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता–सह–कार्यनिष्पादन संबंधी पहलुओं, आदि, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाये गये लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आष्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की, एक परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

(i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं;

(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रपत्र पर बनाये गये हैं;

(iii) हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की जांच से पता चलता है, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा लेखों की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि:

¼d½ çkfIr ,o Hkxrku y[kk

₹0.51 लाख के कालातीत चेकों को निरस्त नहीं किया गया था तथा इन्हें वापस खाते में लिख दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्राप्ति खाते एवं अंत शेष में ₹0.51 की न्यूनोक्ति दर्ज की गयी।

¼[k½ lgk;rk vunku

संस्थान ने वर्ष 2016–17 के दौरान ₹19.32 करोड़ (₹11.00 करोड़ योजनागत एवं ₹4.25 करोड़ गैर–योजनागत) का सहायता अनुदान प्राप्त किया और आंतरिक स्रोतों से ₹4.07 करोड की आय अर्जित की। इसमें ₹1.20 करोड़ (योजनागत) का अधिशेष मिलाने पर कुल राशि ₹20.52 करोड़ (₹12.20 करोड़ योजनागत, ₹4.25 करोड़ गैर–योजनागत एवं ₹4.07 करोड आंतरिक स्रोतों से अर्जित आय) हुई। संस्थान ने 31 मार्च 2017 तक ₹17.99 करोड़ (₹10.53 करोड़ योजनागत, ₹4.25 करोड़ गैर–योजनागत एवं ₹3.21 करोड़ आंतरिक स्रोतों से अर्जित आय) का उपयोग किया तथा ₹2.53 करोड़ (₹1.67 करोड़ योजनागत और ₹0.86 करोड आंतरिक स्रोतों से अर्जित आय) का अंत शेष रहा।

(iv) पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखे और प्राप्ति एवं भुगतान लेखे लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

(v) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह 31 मार्च 2017 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन-पत्र से संबंधित है; और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

Hkkjr dk fu;=d ,o egky[kk-ijh{kd dh vkj l

g-@

LFkku: y[kuÅ

ç/kku fun'kd y[kkijh{kk (dnh;)

fnukd : 11-12-2017

vuqc/k

1- vkUrfjd y[kk ijh{kk dh i;kIrrk

संस्थान में आंतरिक लेखापरीक्षा मैन्युअल है किंतु आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध स्थापित नहीं किया गया है। हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार द्वारा की गयी।

2- vkUrfjd fu;a=.k ç.kkyh dh i;kIrrk

संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पायी गयीं:

- संस्थान द्वारा श्रेणीकरण सूची नहीं बनायी गयी है।
- पुस्तकालय परिग्रहण एवं निर्गम रजिस्टर नहीं बनाया गया है।
- महत्वपूर्ण पदों पर नियमित स्टाफ की कमी (85 संस्वीकृत पदों में से केवल 53 पद भरे हुए तथा शेष 32 पद रिक्त हैं)।

3- vpy ifjlEifÙk;ksa dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

अचल परिसंपत्तियों का वर्ष 2016–17 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

4- oLrq-lwph dk çR;{k lR;kiu dh ç.kkyh

वस्तु–सूची का वर्ष 2016–17 में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

5- lkfof/kd nk;rkvksa dk Hkqxrku esa fu;fer rk

संस्थान सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान करता है तथा खातों के अनुसार 31 मार्च 2017 तक कोई भी बकाया 6 माह की अवधि से अधिक समय तक देय नहीं था। ।

ह./
उप निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय)

vLohdj.k% प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

d".k dqekj pukuh ,.M ,lksfl,V~l

सनदी लेखाकार

5/1, क्लाइव रो, तृतीय तल, कमरा सं. 78, कोलकाता–700001

दूरभाषः 033–22302096/22309315

सेवा में,

महानिदेशक,

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

vkrfjd ys[kkijh{kk fjiksVZ ¼foÙk o"kZ 2016&17½

हमने 31 मार्च 2017 को यथा स्थिति वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संलग्न तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है।

foÙkh; fooj.kksa gsrq çca/ku dh ftEesnkjh

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

ys[kkijh{kdksa dh ftEesnkjh

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

gekjh jk;

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की शर्त के अधीन उक्त वित्तीय विवरण निम्नलिखित के संबंध में, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2017 को यथास्थिति वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के कार्य के तुलन-पत्र से संबंधित है और,

ख) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2017 को यथास्थिति संस्थान की आय से अधिक खर्चों के आय एवं व्यय लेखे संबंधित है और,

ग) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा भुगतान के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

d".k dekj pukuh
साझेदार कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 322232 ई
सदस्यता सं. 056045
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 जून 2017

oh- oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uk,Mk
31 ekpZ 2017 dk ;FkkfLFkfr rqyui=

n;rk,¡	vu-	31-03-2017 dk vuqlkj vkdM	31-03-2016 dk vuqlkj vkdM
पूँजीगत निधि	1	106,333,315.77	67,098,519.20
विकास निधि	2	102,080,493.44	89,367,949.81
आरक्षित एवं अधिशेष	3	11,253,500.67	12,191,128.59
उद्‌दिष्ट निधि	4	86,860,652.00	65,677,993.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5	54,619,863.50	58,882,656.50
;kx		**361,147,825.38**	**293,218,247.10**
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	6	113,312,751.00	77,085,842.00
निवेशः उद्‌दिष्ट निधि	7	109,076,229.67	95,960,181.04
चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम	8	138,758,844.71	120,172,224.06
;kx		**361,147,825.38**	**293,218,247.10**

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k]
vkdfLed n;rk,¡ ,oa ys[kksa dh fVIif.k;k 18
le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lca/k esa gLrk{kfjr
dr% d".k dqekj pkuk ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

g-@
d".k dqekj pkuk
साझेदार (सद. सं. 056045)
स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 21/06/2017

g-@
g"kZ flag jkor
ç'kklu vf/kdkjh

g-@
euh"k dqekj xqIrk
egkfuns'kd

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2017 dks lekIr o"kZ ds fy, vk; ,oa 0;; ys[kk

C;kjs	vuq-	31-03-2017 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2016 dks vuqlkj vkdMs
vk;			
सहायता अनुदान	9	135176160.00	112,265,930.00
फीस एवं अंशदान	10	**24013299.00**	**20,590,970.00**
अर्जित ब्याज	11	2589648.44	3,015,596.42
अन्य आय	12	14065681.00	13,245,022.00
पूर्व अवधि आय	13	0.00	108,683.00
tksM+ ¼d½		**175,844,788.44**	**149,226,201.42**
0;;			
स्थापना व्यय	14	52294082.00	45,379,280.00
प्रशासनिक व्यय	15	24947983.24	22,851,944.79
पूर्व अवधि व्यय	16	0.00	245,425.00
योजनागत अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय	17	90011098.00	75,165,814.00
tksM+ ¼[k½		**167,253,163.24**	**143,642,463.79**
मूल्यह्रास से पूर्व व्यय से अधिक आय (क–ख)		8,591,625.20	5,583,737.63
घटायें:			
मूल्यह्रास	6	12,085,294.00	12,050,054.00
शेष, जिसे घाटे के कारण			
पूंजी निधि में ले जाया गया		**(3,493,668.80)**	**(6,466,316.37)**

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;ka]
vkdfLed ns;rk,a ,oa ys[kksa dh fVIif.k;ka 18

le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lac/k esa gLrk{kfjr
d`rs d".k dekj pkuh ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

g-@
d".k dekj pkuh
साझेदार (सद. सं. 056045)
स्थान: नई दिल्ली
दिनाँक: 21/06/2017

g-@
g"kZ flag jkor
ç'kklu vf/kdkjh

g-@
euh"k dqekj xqIrk
egkfuns'kd

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2017 dks lekIr o"kZ dh çkfIr;ksa ,oa Hkqxrku ys[kk

fiNyk o"kZ 31.03.2016	çkfIr;k¡	jkf'k ¼#i;s½ 31.03.2017	fiNyk o"kZ 31.03.2016	Hkqxrku	jkf'k ¼#i;s½ 31.03.2017
	vkfn 'ks"k			O;;	
9,209.95	हस्तगत रोकड़	21,075.95	43,462,836.37	स्थापना व्यय	45,369,419.92
	बैंक में शेष		22,277,133.79	प्रशासनिक व्यय	25,004,133.24
22,449,144.87	चालू खाता	829,429.01	73,833,259.00	योजनागत अनुदान का उपयोग	89,441,885.00
7,152,207.17	बचत खाता परियोजना	5,598,897.36	245,425.00	पूर्व अवधि व्यय	
279,007.05	बचत खाता – आईओबी	290,279.05			
74,369.27	बचत खाता–कॉर्पोरेशन बैंक	80,138.27	3,977,326.00	अचल परिसंपत्तयाँ	12,638,994.00
78,286,139.24	खाते में जमा–विकास निधि	89,367,949.81			
11,980,949.00	खाते में जमा–उद्दिष्ट निधि	-			
5,226,203.00	ग्रेच्युटी खाता–1130025	6,273,577.82	10,175,799.41	विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यय	2,599,468.00
2,898,889.00	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	5,012,390.38	7,723,259.00	अन्य एजेंसियां – व्यय	2,237,277.00
51,219.00	हस्तगत डाकटिकट	57,535.00			
2,642,070.00	ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति	2,681,798.41			
	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	24,244,435.81	595,366.00	स्टाफ को अग्रिम	909,726.00
	प्राप्त अनुदान		568,022.00	विभागीय अग्रिम	793,354.00
100,800,000.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	147,100,000.00			
8,121,892.00	अन्य एजेंसियों से	723,085.00		अन्य भुगतान	
11,238,211.90	अन्य परियोजनाओं से प्राप्तियाँ	1,931,067.00	952,483.00	जमा प्रतिभूति की वापसी	870,000.00
	प्राप्त ब्याज				
7,193,353.57	विकास निधि	7,128,806.00		अंतशेष	
-	वाहन अग्रिम	-			
18,508.00	वाहन अग्रिम	10,785.00	21,075.95	हस्तगत रोकड़	27,202.95
2,997,088.42	cpr [kkrk	2,578,863.44		बैंक में शेष	
220,340.00	C;kt% ifj;kstuk ys[kk	191,946.00	829,429.01	चालू खाता	16,804,201.77
20,422,519.00	Qhl@vfHk'kqYd	24,924,142.00	290,279.05	बचत खाता – आईओबी	302,071.05
13,245,022.00	vU; vk;	14,015,681.00	80,138.27	बचत खाता – कार्पोरेशन बैंक	85,850.27
108,683.00	iwoZ vof/k vk;	-	6,273,577.82	ग्रेच्युटी खाता–1130025	5,192,193.82
569,060.00	विभागीय अग्रिम	741,739.00	5,012,390.38	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	4,828,839.38
	अग्रिमों की वसूली		57,535.00	हस्तगत डाक टिकट	52,738.00
751,090.00	LVkQ ls	856,566.00	89,367,949.81	जमा: विकास निधि	102,080,493.44
	अन्य प्राप्तियाँ		5,598,897.36	बचत खाता – परियोजना	4,257,764.44
744,800.00	आयकर वापसी	1,097,108.00	2,681,798.41	ईएमडी और जमा प्रतिभूति	2,955,794.75
			24,244,435.81	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	20,279,782.28
788,441.00	जमा प्रतिभूति	973,894.00			
298,268,416.44	tksM+	**336,731,189.31**	**298,268,416.44**	tksM+	**336,731,189.31**

* पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है।

egRoiw.kZ ys[kk uhfr;ka]
vkdfLed ns;rk,a ,oa ys[kk dh fVIif.k;ka 18
le rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds lac/k esa gLrk{kfjr
कृते: कृष्ण कुमार चनानी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 322232 ई)

g-@	g-@	g-@
d".k dqekj pukuh	g"kZ flag jkor	euh"k dqekj xqIrk
साझेदार (सद. सं. 056045)	ç'kklu vf/kdkjh	egkfuns'kd
स्थानः नई दिल्ली		
दिनाँकः 21/06/2017		

oh-oh- fxfj jk"Vh; Je lLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2017 dks lekIr o"kZ ds fy, ys[kk dh vuqlfp;k

vuqlwph 1 & iwath fuf/k

(रूपये राशि में)

		31-03-2017 ds vuqlkj vkdM+s		31-03-2016 ds vuqlkj vkdM+s
वर्ष के आरम्भ में शेष		67,098,519.20		63,871,906.64
जोड़ें: विकास निधि में अंतरण		(5,583,737.63)		(3,888,457.57)
जोड़ें: पूंजी निधि में अंशदान				
योजनागत अनुदानों से	46,677,522.00		8,683,131.00	
गैर–योजनागत अनुदानों से	1,634,681.00		975,676.00	
बाह्य परियोजनाओं से		48,312,203.00	3,922,579.50	13,581,386.50
आय से अधिक व्यय		(3,493,668.80)		(6,466,316.37)
tksM+		**106,333,315.77**		**67,098,519.20**

vuqlwph 2 & fodkl fuf/k

वर्ष के आरम्भ में शेष		89,367,949.81		78,286,139.24
वर्ष के दौरान परिवर्धन		5,583,737.63		3,888,457.57
जोड़ें: बैंक एफडीआर पर ब्याज		7,128,806.00		7,186,513.00
जोड़ें: बचत खाते पर ब्याज		-		6,840.00
tksM		**102,080,493.44**		**89,367,949.81**

vuqlwph 3&vkjf{kr ,oa vf/k'k"k

ifjØkeh fuf/k			
¼d½ ifjØkeh ,pch, fuf/k			
वर्ष के आरम्भ में शेष	6,089,137.93		5,682,738.93
जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज	300,829.00		310,882.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज	78,674.00		95,517.00
tksM+ ¼d½	**6,468,640.93**		**6,089,137.93**

	31-03-2017 d vuqlkj vkdM	31-03-2016 d vuqlkj vkdM
¼[k½ ifjØkeh dI;Vj fuf/k		
वर्ष के आरम्भ में शेष	503,093.30	487,798.30
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज	24,002.00	18,406.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज	-	2,731.00
जोड़ें: स्टाफ से वसूला गया ब्याज		
जोड़ें: पिछले वर्ष समायोजित	-	(5,842.00)
tkM ¼[k½	**527,095.30**	**503,093.30**

¼x½ ifj;kstuk fuf/k

वर्ष के आरम्भ में शेष		7,152,207.17
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		8,406,924.90
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज		220,340.00
घटायें: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो		(10,180,574.71)
tkM ¼x½	**4,257,764.44**	**5,598,897.36**
tkM ¼d [k Xk½	**11,253,500.67**	**12,191,128.59**

vuqlph 4 & mnfn"V fuf/k ¼py jgk dk;½

वर्ष के आरम्भ में शेष	65,677,993.00	54,029,908.00
जोड़ें: ढांचागत कार्य के लिए योजनागत अनुदान (आगे ले जाया गया)	16,665,795.00	-
जोड़ें: एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीगत) की राशि	40,190,073.00	17,329,566.00
जोड़ें: (घटाएं) वर्ष के दौरान अग्रिम की राशि	(35,673,209.00)	(5,681,481.00)
tkM	**86,860,652.00**	**65,677,993.00**

vuqlph 5&pkyw n;rk,a ,oa çko/kku

d & pkyw n;rk,a		
ईएमडी और जमा प्रतिभूति	2,477,625.00	2,373,731.00
सहायता अनुदान (पिछले वर्ष अप्रयुक्त)	-	11,980,949.00
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं	7,947,193.00	2,289,870.00
बाहरी एजेंसियों की विविध परियोजनाएं	1,469,049.00	-
tkM ¼d½	**11,893,867.00**	**16,644,550.00**
[k & çko/kku		
सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं	42,725,996.50	42,238,106.50
tkM ¼[k½	**42,725,996.50**	**42,238,106.50**
tkM ¼d$[k½	**54,619,863.50**	**58,882,656.50**

vuqlwph 6 & vpy ifjlaifÙk;k

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

fooj.k	eY;gkl dh nj	4-1-2016 dk ?kVrk eku	ifjo/ku		o"kZ dk nkSjku gVk,	31-03-17 dk tksM+	eY;gkl dh jkf'k	31-03-17 dk ?kVrk eku
			31-10-16 rd	31-10-16 ds ckn				
भूमि*	0%	-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	62,526,316	-	45,704,176	-	108,230,492	8,537,840	99,692,652
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	3,630,820	-	-	-	3,630,820	363,082	3,267,738
उपकरण	15%	7,049,166	-	923,457	-	7,972,623	1,126,634	6,845,989
वाहन	15%	437,779	-	-	-	437,779	65,667	372,112
पुस्तकालय की पुस्तकें	60%	882,942	-	461,982	-	1,344,924	668,360	676,564
अमूर्त आस्तियां (एमएस ऑफिस)	25%	207,206	-	-	-	207,206	51,802	155,404
कंप्यूटर	60%	1,693,476	-	290,705	-	1,984,181	1,103,297	880,884
सूचना प्रौद्योगिकी	15%	658,137	-	931,883	-	1,590,020	168,612	1,421,408
		77,085,842	**-**	**48,312,203**	**-**	**125,398,045**	**12,085,294**	**113,312,751**

*भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केंद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

vuqlwph 7&fuos'k ¼mn~fn"V fuf/k;k½

	31-03-2017 dks vuqlkj vkadMs	31-03-2016 dks vuqlkj vkadMs
d- fodkl fuf/k		
सावधि जमा खाते	92,317,284.63	86,733,547.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	9,749,182.00	2,560,105.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज (टीडीएस भाग)	-	60,819.00
इंडियन ओवरसीज बैंक: एस.बी. खाता	14,026.81	13,478.81
tksM ¼d½	**102,080,493.44**	**89,367,949.81**

[k- ifjØkeh ,pch, fuf/k		
इंडियन ओवरसीज बैंक: एफडीआर	3,771,360.00	3,771,360.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	295,502.00	1,346.00
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज (टीडीएस भाग)	-	11,880.00
इंडियन ओवरसीज बैंक: एसबी खाता	634,967.93	390,262.93
स्टाफ को एचबीए अग्रिम	1,766,811.00	1,914,289.00
tksM+ ¼[k½	**6,468,640.93**	**6,089,137.93**

	31-03-2017 d vu|lkj vkdM	31-03-2016 d vu|lkj vkdM
x- ifjØkeh dI;Vj fuf/k		
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	474,671.30	469,093.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम	52,424.00	34,000.00
tkM ¼x½	**527,095.30**	**503,093.30**
tkM ¼d$[k$x½	**109,076,229.67**	**95,960,181.04**

vu|lph 8 & pky ifj lifÙk;k] _.k ,o vfxe

v- pky ifj lifÙk;k		
d- udnh ,o cd e 'k"k		
हस्तगत नकदी	27,202.95	21,075.95
बैंक में शेषः		
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खातों में	16,804,201.77	829,429.01
कार्पोरेशन बैंकः एसबी फ्लेक्सी खाता	20,279,782.28	24,244,435.81
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता	302,071.05	290,279.05
कार्पोरेशन बैंकः एसबी खाता	85,850.27	80,138.27
ग्रेच्युटी खाता – 1130025	5,192,193.82	6,273,577.82
छुट्टी का नकदीकरण – 1130026	4,828,839.38	5,012,390.38
ईएमडी और जमा प्रतिभूति – 1150006	2,955,794.75	2,681,798.41
डाक टिकट खाता	52,738.00	57,535.00
tkM ¼d½	**50,528,674.27**	**39,490,659.70**

vuqlwph 8 & pkyw ifjlaifÙk;ka] _.k ,oa vfxze ¼tkjh----½

[k- ifj;kstuk fuf/k	31-03-2016 ds vuqlkj vkdMs	o"kZ ds nkSjku çkIr jkf'k	cSad C;kt	o"kZ ds nkSjku 0;;	cSad çHkkj	31-03-2017 ds vuqlkj vkdMs
vkbZvkbZch esa ,lch [kkrk						
एनआरसीसीएल खाता–4475	2,760,766.36	-	89,929.00	-	-	2,850,695.36
एफसीएनआर खाता–10500	344,748.00	-	9,757.00	215,000.00	6.06	139,498.94
यूनीसेफ बाल श्रम डाटा विश्लेषण–50721	497,580.00	-	16,476.00	509,253.00	163.86	4,639.14
यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722	1,994,582.00	-	75,734.00	808,656.00	-	1,261,660.00
कार्पोरेशन बैंक, एसबी खाता						
वीवीजीएनएलआई कर्मचारी कल्याण निधि 4098	1,221.00	-	50.00	-		1,271.00
tksM+ ¼[k½	**5,598,897.36**	**-**	**191,946.00**	**1,532,909.00**	**169.92**	**4,257,764.44**
tksM+¼v½ ¼d$[k½	**45,089,557.06**					**43,748,424.14**

c- _.k ,oa vfxze

	31-03-2016 dks vuqlkj vkdMs	o"kZ ds nkSjku fn, x, vfxze	o"kZ ds nkSjku olwyh@lek;kstu	31-03-2017 dks vuqlkj vkdMs
d- LVkQ dks				
त्यौहार अग्रिम	58,575.00	112,500.00	112,950.00	58,125.00
कार अग्रिम	259,249.00	7,383.00	57,388.00	209,244.00
स्कूटर अग्रिम	55,257.00	1,902.00	36,707.00	20,452.00
एलटीसी अग्रिम	10,800.00	787,941.00	649,521.00	149,220.00
tksM+ ¼d½	**383,881.00**	**909,726.00**	**856,566.00**	**437,041.00**

vuqlph 8 & pkyw ifjlifÙk;k] _.k ,oa vfxze ¼tkjh----½

	31-03-2016 dks vuqlkj vkdMs	o"kZ ds nkSjku fn, x, vfxze	o"kZ ds nkSjku olwyh@ lek;kstu	31-03-2017 dks vuqlkj vkdMs
[k- ckgjh ,tsfl;ksa dks				
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2000–01	487,691.00	-	-	487,691.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2005–06	3,755,713.00	-	-	3,755,713.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम –योजनागत 2010–11	14,142,712.00	-	14,142,712.00	-
ईएसआईसी को अग्रिम –2015–16	17,824,297.00	-	17,824,297.00	-
यूपीपीसीएल को अग्रिम –2016–17	29,467,580.00	-	3,706,200.00	25,761,380.00
सीपीडब्लूडी को अग्रिम –2016–17	-	26,264,600.00	-	26,264,600.00
एनआईसीएसआई 2016–17	-	13,925,473.00	-	13,925,473.00
tksM ¼[k½	**65,677,993.00**	**40,190,073.00**	**35,673,209.00**	70,194,857.00

	31-03-2017 dks vuqlkj vkdMs	31-03-2016 dks vuqlkj vkdMs
x- vU; vfxze		
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम	580,137.00	286,504.00
व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी एजेंसियों की परियोजनाएं	380,214.00	113,878.00
स्रोत पर कर की कटौती	2,494,583.00	2,692,372.00
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)	-	1,000.00
विभागीय अग्रिम (पी.)	60,279.00	7,664.00
प्राप्य बिल	8,112,777.00	4,489,516.00
पूर्वदत्त खर्चे	1,712,518.00	1,429,859.00
tksM ¼x½	**13,340,508.00**	**9,020,793.00**
tksM ¼v$c½	**138,758,844.71**	**120,172,224.06**

vuqlwph 9 & lgk;rk vuqnku

	31-03-2017 dks vuqlkj vkadM+s	31-03-2016 dks vuqlkj vkadM+s
xSj&;kstukxr भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	42,500,000.00	37,100,000.00
योजनागत भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	100,000,000.00	56,200,000.00
भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) एन.ई.	10,000,000.00	7,500,000.00
tksM+	**152,500,000.00**	**100,800,000.00**
घटाएं: अनुदान (वर्ष के दौरान अप्रयुक्त)	11,980,949.00	14,467,580.00
घटाएं: अवसंरचना के लिए उद्दिष्ट सहायता अनुदान	16,665,795.00	-
घटाएं: पूंजीकृत सहायता अनुदान	12,638,994.00	3,001,650.00
	(17,323,840.00)	11,465,930.00
vk; vkSj O;; [kkrs esa n'kkZ;h x;h jkf'k;k¡	135,176,160.00	112,265,930.00

vuqlwph 10 & Qhl ,oa vfHknku

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	23,890,389.00	20,421,330.00
अवार्ड्स डाइजेस्ट अभिदान	29,440.00	54,895.00
लेबर एंड डेवलपमेंट अभिदान	48,050.00	53,000.00
श्रम कानून.शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियाँ	20,500.00	30,000.00
श्रम विधान अभिदान	23,920.00	27,640.00
अन्य प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्तियाँ	1,000.00	4,105.00
tksM+	**24,013,299.00**	**20,590,970.00**

vuqlwph 11 & vftZr C;kt

स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज	10,785.00	18,508.00
प्राप्त ब्याज	2,578,863.44	2,997,088.42
tksM+	**2589648.44**	**3,015,596.42**

vuqlwph 12 & vU; vk;

गैर–योजनागत आय	4,633,282.00	4,252,549.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	8,702,700.00	8,156,907.00
निविदा फार्मों की बिक्री	31,000.00	49,250.00
फोटोस्टेट से आय	511,389.00	574,131.00
अप्रयोज्य मदों की बिक्री	-	47,020.00
स्टाफ क्वार्टरों से किराया.लाइसेंस शुल्क	110,930.00	118,705.00
अन्य प्राप्तियाँ	26,380.00	21,460.00
फैकल्टी परामर्श प्रभार	50,000.00	-
परिसर के उपयोग से आय	-	25,000.00
tksM+	**14,065,681.00**	**13,245,022.00**

vuqlwph 13&iwoZ vof/k vk;

	31-03-2017 dk vuqlkj vkadMs	31-03-2016 dk vuqlkj vkadMs
पूर्व अवधि आय	0	108,683.00
tksM+	**0**	**108,683.00**

vuqlwph 14&LFkkiuk O;;

स्टाफ को वेतन	34,790,055.00	34,586,461.00
भत्ते एवं बोनस	3,744,567.00	2,940,266.00
एनपीएफ में अंशदान	3,029,146.00	2,837,868.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर व्यय एवं सेवांत्त लाभ	4,323,116.00	4,843,384.00
प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन	114,495.00	171,301.00
सातवें वेतन आयोग का बकाया भगुतान	6,292,703.00	-
tksM+	**52,294,082.00**	**45,379,280.00**

vuqlwph 15 & ç'kklfud O;;

विज्ञापन एवं प्रचार	141,029.00	246,240.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	2,681,673.00	1,880,964.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार	5,411,847.00	5,284,878.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय	165,535.00	199,204.00
बीमा	96,725.00	89,218.00
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	9,750.00	9,750.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	723,621.00	301,289.00
विविध व्यय	72,855.24	38,684.79
प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	13,165,670.00	10,073,082.00
फोटोस्टेट व्यय	275,632.00	283,517.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार	50,548.00	70,418.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	483,043.00	380,621.00
नई परिसंपत्तियों की खरीद	130,350.00	975,676.00
ejEer ,oa j[kj[kko		
क. कंप्यूटर	75,012.00	36,792.00
ख. कूलर/ए.सी	442,157.00	329,020.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध	197,573.00	815,464.00
स्टाफ कल्याण व्यय	162,735.00	246,461.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	561,137.00	518,546.00
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे	984,346.00	389,634.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	433,697.00	364,907.00
जल प्रभार	317,729.00	317,579.00
vk; vkj O;; y[kk es vrfjr /kujkf'k;ka	**26,582,664.24**	**22,851,944.79**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	1,634,681.00	975,676.00
tksM+	**24,947,983.24**	**21,876,268.79**

vuqlwph 16 & iwoZ vof/k O;;

	31-03-2017 dks vuqlkj vkadM+s	31-03-2016 dks vuqlkj vkadM+s
पूर्व अवधि व्यय	-	245,425.00
tksM+	**-**	**245,425.00**

vuqlwph 17 & ;kstukxr vuqnkuksa Isj O;;

d- vuqla/kku] f'k{kk vkSj çf'k{k.k		
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	9,101,327.00	8,142,049.00
शिक्षण कार्यक्रम	11,182,434.00	12,338,884.00
ग्रामीण कार्यक्रम	4,282,841.00	4,015,457.00
सूचना प्रौद्योगिकी	657,196.00	1,819,558.00
परिसर सेवाएं	13,105,911.00	12,972,443.00
tksM+ ¼d½	**38,329,709.00**	**39,288,391.00**
[k- iwokZŸkj jkT;ksa ds fy, dk;ZØe@ifj;kstuk,a		
शिक्षण कार्यक्रम	8,446,683.00	5,589,742.00
परियोजनाएं; जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/प्रकाशन शामिल हैं)	1,553,509.00	1,910,307.00
tksM+ ¼[k½	**10,000,192.00**	**7,500,049.00**
x- iqLrdky; lqfo/kkvksa dk c<+kuk		
पत्र/पत्रिकाओं को अभिदान	1,900,374.00	1,810,536.00
पुस्तकें	461,982.00	100,578.00
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण	8,000.00	330.00
tksM+ ¼x½	**2,370,356.00**	**1,911,444.00**
?k- voljpuk		
सेमिनार खंड : नवीकरण एवं उन्नयन	7,291,236.00	17,540,810.00
प्रशासनिक खंड : नवीकरण एवं उन्नयन	27,500,000.00	8,687,068.00
एनआईसीएसआई – नेटवर्किंग	15,523,918.00	3,239,702.00
tksM+ ¼?k½	**50,315,154.00**	**29,467,580.00**
;kstukxr vuqnkuksa Isj dqy O;; ¼d ls ?k½	**101,015,411.00**	**78,167,464.00**
घटाएं: पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	11,004,313.00	3,001,650.00
vk; O;; [kkrs esa jde dk varj.k	**90,011,098.00**	**75,165,814.00**

oh-oh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku] uks,Mk
31 ekpZ 2017 dks lekIr o"kZ ds fy, ys[kk dh vuqlwfp;k¡

vuqlwph la- 18: egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡ ,oa ys[kk ij fVIif.k;k¡

d- egRoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡

1- foÙkh; vkfpR; dk ekud

हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसी स्वायत्त संस्थाओं के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।

2- foÙkh; fooj.k

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा और तुलनपत्र षामिल हैं।

3- vpy ifjlEifÙk;k¡

अचल परिसम्पतियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।

4- ewY;gkl

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

ifjlEifÙk;ksa dh Js.kh	ewY;gkl dh nj
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
सूचना प्रौद्योगिकी (वेबसाइट)	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें *	60%
अमूर्त आस्तियां (एमएस ऑफिस)	25%
कम्प्यूटर एवं सहायक यंत्र	60%

5- iwoZ vof/k lek;kstu

01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

6- oLrq lwfp;k¡

वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

7- deZpkjh fgrykHk

संस्थान ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।

[k- y[kkvksa ij fVIif.k;k

1- y[kkdu dk vk/kkj

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर-लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इनमें निम्न को छोड़कर तदुनसार प्रावधान किए गए हैं:

क. केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खरीदी गई लेखन सामग्री एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2- lgk;rk vuqnku

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान (योजनागत एवं गैर-योजनागत) प्राप्त करता है और उपयोग प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

3- iwath ,oa jktLo y[kk

पूंजी स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

4- fofo/k nqunkj vkj fofo/k yqunkj

संस्थान, ऐसे व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और इन पर व्यय ऐसी एजेंसियों की ओर से करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्ति अथवा भुगतान-बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

5- vpy ifjlEifÙk;k ,oa eY;gkl

क. अचल परिसम्पत्तियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों (उपरोक्त) के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों को राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

6- ifjlEifÙk;ksa dk çR;{k lR;kiu

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

7- ljdkjh /ku dk #duk

संस्थान ने के.लो.नि.वि. और क.रा.बी.नि. को संस्थान में विभिन्न सिविल कार्यों एवं इलैक्ट्रिकल कार्यों आदि के निर्माण/नवीकरण हेतु 2000–01 से 2015–16 के दौरान अग्रिम के रूप में 6,56,77,993 रुपए की राशि अग्रिम में दी थी। उक्त अग्रिम में से 3,56,77,209 रुपए का उपयोग कर लिया गया है इसे भवन में पूंजीकृत किया गया है। शेष राशि का उपयोग अभी भी के.लो.नि.वि. से प्रतीक्षित है। संस्थान को के. लो.नि.वि. से यह अग्रिम वसूल करने की सलाह दी जाती है।

8- संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2017 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया है।

fooj.k	31-03-2017 rd çko/kku	31-03-2016 rd çko/kku
minku	24,475,075.50	23,963,334.50
vftZr vodk'k	18,250,921.00	18,274,772.00
	42,725,996.50	**42,238,106.50**

9- vk;dj fooj.kh

संस्थान ने 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी।
संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

10- vkxs ys tk;k x;k vf/k'ks"k

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

11- vkdfLed ns;rk,a

वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

12- पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

vuqlfp;ka 1 ls 18 gLrk{kfjr

dr% d".k dqekj pukuh ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkdkj
(,Qvkj,u 322232 bZ)

dr% oh oh fxfj jk"Vªh; Je laLFkku

g-@
d".k dqekj pukuh
साझेदार (सद. सं. 056045)

g-@
g"kZ flag jkor
ç'kklu vf/kdkjh

g-@
euh"k dqekj xqIrk
egkfuns'kd

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः 21/06/2017

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in